पंजीयन संख्या : 68939/98 अंक - 24, वर्ष 24

ज्ञान तत्त्व

बजरंग मुनि

मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान

ज्ञान यज्ञ परिवार

MARGDARSHAK

462

सत्यता और निष्पक्षता का निर्भीक पाक्षिक

सम्पादक : बजरंग लाल अग्रवाल रामानुजगंज (छ.ग.)

पोस्ट की तारीख : 30-12-2024

प्रकाशन की तारीख : 16-12-2024

पाक्षिक मूल्य - /- (रूपये मात्र)

अनुक्रमणिका

भारतीय संविधान कितना सफल कितना असफल

विविध विषयों पर मुनि जी के लेख

१.विचार और संस्कार का हिन्दुत्ववादी संतुलन:
२.संविधान दिवस के बहाने एक विमर्श:
तंत्र मुक्त संविधान एक मात्र समाधान:
३.भारत के शानदार अर्थव्यवस्था की राह इतनी आसान नहीं थी:
४.नेहरु, परिवार वाले या संविधान सभा के, किस संविधान को सर्वाच्च मानें:
५.राहुल गाँधी ही हैं, नरेन्द्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत:
६.खोखले आदर्शों पर खड़ी समाज और कानून व्यवस्था एक सामाजिक बुराई:
७.क्या राहुल गाँधी का मंतव्य है कि मोदी सरकार लोकतान्त्रिक है?:
८.नारों का सामाजिक एकता का प्रयोग:
९.हमेशा पुलिस को कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं:
१०.महिला और पुरुष के बीच अंतर्संबंधों पर निर्णायक कौन?:
११.आर्थिक असमानता के शोर में राजनैतिक असमानता की बात:
१२.पैसा बांटने और पैसा लेने वालों के बीच चुनाव:
१३.प्रतिस्पर्धाएं स्वतंत्र और निष्पक्ष हों यह तंत्र की जिम्मेदारी:
१४.विश्व पुरुष दिवस पर:
१५.राहुल गाँधी की झूठे की बनती छवी:
१६.सरकारें भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए कानून बना रही न की रोकने के लिए:
१७.कृत्रिम उर्जा का मूल्य सस्ता रख प्रदुषण पर चिंता बेमानी:
१८.राहुल गाँधी के लाल किताब के अन्दर कांग्रेसी कुकर्मों के स्याह पन्ने:
१९.पता नहीं कब सरकारे अपराध नियंत्रण को प्राथमिकता देंगी:
२०. इन्हें राजनीति के मंथरा जैसी कुटनी क्यों न कहें:
२१. अनैतिक परिवेश में खोती जा रही सामाजिक शांति:
२२. आखिर भारत का मुसलमान चाहता क्या है?:
२३. गज़ब कानून तोड़ने वालों के साथ कथित संविधान रक्षक:
२४. सामाजिक समस्यायों का हो सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक समाधान:
२५. कुंदरकी विधानसभा से मिले बदलाव के संकेत ने बदली राजनीति की बयार:
२६. हमें विश्वामित्र की भूमिका निभानी होगी:
२७. मुस्लिम वोट बैंक का उपयोग करने वालों का हो सामाजिक बहिष्कार:
२८. व्यवस्था की गलतियों को समाज के सर मढ़ने की कोशिश:
२९. राजनीति में मुर्ख का संचालन धूर्त करते हैं:
३०. तंत्र मुक्त संविधान हमारा सैद्धांतिक लक्ष्य:
३१. धर्म और सम्प्रदाय के नाम पर एकजुट होना गलत:
३२. राहुल गाँधी और पुतिन की धमकियों का कोई अस्तित्व नहीं:
३३. संवैधानिक व्यवस्था पर भी चिंता करने की जरूरत:
३४. सत्य संभाषण को दुरुह बनाती राजनीतिक व्यवस्था:
३५. मेरे जीवन का आदर्श:
३६. पक्षपात रहित होने का अर्थ है वर्ग समन्वय:
३७. पत्रोत्तर-

३८. ज़ूम पर होने वाले 'चर्चा' कार्यक्रम से :

1. सामाजिक एकजुटता की राह में बाधाएँ:

1 दिसंबर, प्रातःकालीन सत्र-सामाजिक विषय पर चर्चा हमारा समाज धर्म के नाम पर टूट रहा है, जाति के नाम पर टूट रहा है, गरीब-अमीर के नाम पर तोड़ा जा रहा है, महिला और पुरुष के नाम पर भी तोड़ा जा रहा है, अन्य कई फैक्टर है जिसे समाज में विभाजन के लिए लगातार प्रयुक्त किया जा रहा है और यह अपवित्र कार्य सिर्फ राजनीतिक नेताओं की भूमिका से हो रहा है। अर्थात हमारे देश के राजनीतिक नेता पूरी तत्परता से समाज को विभाजित करने का कार्य कर रहे हैं। गांधी ने कहा था हमें वर्ग-समन्वय चाहिए, यह गांधी टोपी और खादी पहनने वाले राजनीतिक नेता वर्ग-विद्वेष और वर्ग-संघर्ष की ही माला दिन-रात जपते रहते हैं।

कोई सामाजिक एकता की बात करता ही नहीं है। सब लोग महिला सशक्तिकरण, पुरुष सशक्तिकरण, गरीब एकता, श्रमिक एकता, मुस्लिम एकता, जातीय एकता की बात करता है इसलिए अब समय आ गया है कि हम सामाजिक एकता की बात करें। लेकिन हमारे सामने संकट यह है कि सामाजिक विभाजन की बात करने वाले हमारी तुलना में कई गुना अधिक साधन संपन्न है, उनके पास राजनीतिक शक्ति है इसलिए वे सामाजिक विभाजन में अधिक सफल हो रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमें इसका दूसरे तरीके से समाधान करना होगा अर्थात यह अगर धर्म के आधार पर हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं तो हम उन्हें सामाजिक एकता के बल पर उनकी योजना को असफल करते जा रहे हैं। अब तक धर्म के आधार पर राजनीति करने वालों ने 70 वर्षों तक इसलिए इसका उपयोग किया क्योंकि हम सामाजिक एकता की बात नहीं करते थे। अब पिछले 10 वर्षों से जब हम एकजुट होने लग गए तब यह सांप्रदायिक तत्व अब जातीय विभाजन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। अब यह लोग हिंदुओं को आपस में बांटना चाहते हैं। यह एक बड़ी समस्या है, इस समस्या पर हम कल फिर चर्चा करेंगे।

2. व्यक्ति की उद्दंडता कैसे नियंत्रित हो :

यह बात पूरी दुनिया में साफ हो चुकी है कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। समाज के संचालन में व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और व्यक्ति की उद्दंडता पर नियंत्रण समाज की जिम्मेवारी होती है। व्यक्ति जब व्यक्ति के रूप में होता है तब वह दूसरों के लिए खतरनाक भी हो सकता है, जब वह व्यक्ति समाज में शामिल हो जाता है, तब वह दूसरों की मदद भी कर सकता है और उसकी सुरक्षा भी कर सकता है। इस तरह व्यक्ति और समाज की अपनी संरचना होती है। वर्तमान समय में व्यक्ति पर नियंत्रण समाज इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि समाज का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। समाज तो साढ़े सात सौ करोड़ व्यक्तियों का होता है इसलिए व्यक्ति पर नियंत्रण के लिए अप्रत्यक्ष रूप से एक तंत्र बनाया जाता है और वह तंत्र ही कहीं उद्दंड न हो जाए इसलिए तंत्र पर अंकुश के लिए समाज उसकी सीमाएं निर्धारित करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि तंत्र उन सीमाओं से बाहर नहीं जा सकता, यह जो सीमाएं होती हैं यही संविधान मानी जाती है। इस तरह व्यक्ति की उद्दंडता पर नियंत्रण संविधान की जिम्मेदारी होती है और संविधान बनाना समाज का काम माना जाता है। वर्तमान भारत में संविधान के निर्माण से समाज की भूमिका को शून्य कर दिया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ व्यक्ति पूरी तरह शक्तिशाली हो गए। उन लोगों ने संविधान पर भी नियंत्रण कर लिया, समाज व्यवस्था को भी कमजोर कर दिया और जो खतरे की कल्पना की गई थी, वह खतरा साकार हो गया। आदर्श स्थिति में कोई भी व्यक्ति समाज से ऊपर नहीं हो सकता, चाहे वह भगवान ही क्यों ना हो लेकिन हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय में कुछ व्यक्ति अपने को समाज से ऊपर मानने लगे हैं। इस तरह यह निष्कर्ष निकलता है कि संविधान तंत्र पर नियंत्रण करने में असफल रहा है और तंत्र व्यक्ति की उद्दंडता पर नियंत्रण करने में असफल रहा है। इसके समाधान के रूप में हमें संविधान को तंत्र से मुक्त करना होगा। हम जितनी जल्दी इस कार्य को कर सकेंगे उतना ही व्यक्ति की उद्दंडता पर भी नियंत्रण हो सकेगा तंत्र की उद्दंडता पर भी नियंत्रण हो सकेगा और समाज की वास्तविक शक्ति भी प्रभाव उत्पादक हो जाएगी।

3. भारतीय संस्कृति विश्व गुरु की गरिमा को अक्षुण्ण रखने में सक्षम है :

हम यह बात अच्छी तरह समझ गए हैं कि दुनिया में भारतीय जीवन पद्धति ही शांति का आधार बन सकती है। हिंदू जीवन पद्धति हिंसा और अहिंसा का एक अच्छा संतुलन बनाती है जबकि अन्य संस्कृतियां हिंसा या अहिंसा के बीच एकपक्षीय मार्ग प्रशस्त करती हैं इसीलिए अन्य जीवन पद्धतियों की तुलना में हमारे हिंदू जीवन पद्धति को ही अधिक अच्छा माना जा रहा है। दूसरी बात यह है कि हमारे भारत की राष्ट्रभाषा निर्विवाद रूप से हिंदी है। हमारे पूरे देश में हिंदी लगातार बढ़ती जा रही है। जो भी लोग हिंदी से हटकर उर्दू या अंग्रेजी का समर्थन करते हैं, वह भूल कर रहे हैं। हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में सफल हो सकती है। तीसरी बात यह है कि सारी दुनिया में लोकतंत्र एक मजबूरी है और देर-सबेर हमें लोकतंत्र की जगह पर लोक स्वराज की दिशा में जाना ही पड़ेगा। भारत इस दिशा में पहल कर सकता है और दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है। हमें लोकस्वराज की दिशा में और अधिक तेज गति से बढ़ना चाहिए। चौथी बात यह है कि हमारे वैचारिक धरातल पर गांधी ही हमारे निर्विवाद मार्गदर्शक हो सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू तो किसी भी दृष्टि से हमारे मार्गदर्शक हो ही नहीं सकते। बहुत ही बुद्धिमानी से गांधी को हमने अपना प्रातःस्मरणीय स्वीकार किया है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि हम लोग वर्तमान में गांधी को ही अपना प्रातःस्मरणीय मानें। यदि हम इन चार बातों का ध्यान रखेंगे तो अवश्य ही हम विश्व गुरु की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

4. त्रिगुट को बेनकाब करना ही इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान है। :

2 दिसंबर, प्रातःकालीन सत्र। कल हम लोगों ने समाज को विभाजित करने के लिए धर्म के राजनीतिक उपयोग पर चर्चा की थी और हम लोगों ने यह माना था कि जब तक हम सांप्रदायिकता के विरुद्ध सैद्धांतिक वातावरण बनाते रहे, तब तक देश में सांप्रदायिक टकराव बढ़ता रहा है। यहां तक कि बढ़ते-बढ़ते आसाम, कश्मीर, बंगाल सहित कुछ प्रदेशों में विभाजन तक का खतरा दिखने लगा। हम लोगों ने जब सांप्रदायिकता के मामले में नीति बदली और व्यावहारिक नीति पर आए अर्थात सैद्धांतिक चर्चा को छोड़कर सांप्रदायिकता के नाम पर दुकानदारी करके लाभ उठाने वाले मुसलमान, कम्युनिस्ट और नेहरू परिवार का सीधा विरोध करना शुरू कर दिया, तब सांप्रदायिकता अपने आप नियंत्रण में आ रही है। सांप्रदायिक एकजुटता के खिलाफ सामाजिक एकजुटता का प्रयत्न करने लगे तो सारे खतरे अपने आप किनारे हो गए। अब भारत में विभाजन का कोई खतरा नहीं है क्योंकि मुसलमान, कम्युनिस्ट और नेहरू परिवार यह तीनों सांप्रदायिक तत्व कटघरे में खड़े कर दिए गए हैं। इसी तरह हमारे देश में अब जातिवाद का दुरुपयोग किया जा रहा है। जातिवाद के नाम पर हिंदुओं की एकजुटता को तोड़ने का यह तीनों भरपूर प्रयत्न कर रहे हैं। जातिवाद के लिए भारत का अधिकांश मुसलमान, कम्युनिस्ट और नेहरू परिवार दिन-रात कोशिश कर रहा है। जातिवाद एक बहुत बड़ा खतरा है, गांधी से लेकर अन्य महापुरुषों ने भी जातिवाद का विरोध किया। हम लोग भी लगातार करते रहे लेकिन जातिवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब समय आ गया है कि हम जातिवाद का समाधान सैद्धांतिक चर्चा के माध्यम से नहीं, हम व्यावहारिक चर्चा के माध्यम से करेंगे। अर्थात जातिवाद का समाधान करने के लिए हम सामाजिक एकजुकता का नारा देंगे। इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने और नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया है, इस नारे के आधार पर हम मुसलमान, कम्युनिस्ट और नेहरू परिवार इन तीनों के मिले-जुले षड्यंत्र को पराजित करेंगे। जातिवाद के नाम पर पूरे समाज को तोड़ने का निरंतर प्रयास हो रहा है और यह प्रयास बहुत घातक है। जातिवाद का लाभ उठाने वाले इस त्रिगुट को बेनकाब करना ही इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान है।

5. 29-30-31 तारीख को दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन :

हम लोगों ने चार-पांच दिनों की चर्चा में यह निष्कर्ष निकाला है कि भारत का संविधान पूरी तरह तंत्र का गुलाम हो गया है और जब तक संविधान इस तंत्र की गुलामी से मुक्त नहीं होता तब तक लोक मालिक नहीं हो सकता। वह तो हमेशा तंत्र का मोहताज ही रहेगा। यह समस्या वैसे तो आंशिक रूप से पूरी दुनिया में है लेकिन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, दक्षिण एशिया के कुछ देशों में बहुत व्यापक है। पश्चिम के देशों में कुछ मुद्दों पर जनमत संग्रह भी होता है लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भारत में तंत्र जब चाहे तब मनमाने तरीके से संविधान में बदलाव कर सकता है। यह एकसूत्रीय समस्या है जिसका हमें समाधान खोजना पड़ेगा। इस समस्या का समाधान तो है लोक स्वराज लेकिन वर्तमान दुनिया में लोक स्वराज की दिशा में कोई भी संस्था कार्य नहीं कर रही है, ना कोई राजनीतिक दल आवाज उठा रहा है, ना कोई धार्मिक या सामाजिक संस्था। इस संबंध में महात्मा गांधी ने आवाज उठाई थी, जयप्रकाश ने और अन्ना हजारे ने भी आवाज उठाई थी लेकिन अब वह आवाज पूरी तरह बंद है। वर्तमान समय में सिर्फ एकमात्र हम लोगों की संस्था मां संस्थान ही ऐसी है जो लोक स्वराज की दिशा में निरंतर सक्रिय है। हमारे देश के राजनीतिक दल गांधी को या तो प्रातःस्मरणीय मानते हैं अथवा गांधी की टोपी और गांधी के वस्त्र धारण करते हैं लेकिन गांधी विचारों से इनका कोई लेना-देना नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल लोक स्वराज की चर्चा नहीं करना चाहता। इसलिए हम लोगों के संस्थान ने इस संबंध में पूरे देश में जन जागरण करना शुरू किया है। हमारे कई मित्र दिल्ली कार्यालय की व्यवस्था के अंतर्गत देशभर में लोक स्वराज की आवाज उठा रहे हैं। मार्च महीने की 29-30-31 तारीख को दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन करने की भी योजना बनी है। मैं चाहता हूँ कि हम लोग भारतीय संविधान को तंत्र से मुक्त करने और लोग स्वराज की दिशा में ले जाने के लिए निरंतर जन जागरण करें।

6. न्यायालय सुरक्षा और न्याय तक अपने को सीमित कर ले। :

हम भारत की संपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था पर गंभीरता से विचार करें तो हम इस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि विधायिका और कार्यपालिका ने एक साथ मिलकर इस संविधान का जितना अधिक दुरूपयोग किया, उस दुरुपयोग का आज हमें परिणाम देखने को मिल रहा है। देश में सारी अराजकता या अन्य समस्याओं के कारण हमारी विधायिका और कार्यपालिका द्वारा मनमानी तरीके से संविधान का संशोधन कर देना है जो कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। इसी के परिणामस्वरूप इन दोनों में इतना बड़ा भ्रष्टाचार भी हुआ है, चरित्र पतन भी हुआ है तथा अन्य अनेक प्रकार की बुराइयां आई है और इन सब बुराइयों का परिणाम समाज पर पड़ा है। मैं इसके लिए न्यायपालिका को बधाई देता हूँ कि न्यायपालिका ने 50 वर्ष पहले इन दोनों की उद्दंडता पर नियंत्रण लगाया था। लेकिन अब यदि हम विचार करें तो न्यायपालिका जिस तरह हर मामले में दखल दे रही है इससे न्यायपालिका में भी वही बीमारियां आने लगी है जो कार्यपालिका और विधायिका में आई थी। न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, मनमानी बढ़ रही है, आपसी टकराव बढ़ रहा है। यह कैसे संभव है कि कार्यपालिका और विधायिका के सारे कार्य न्यायपालिका संभाल ले। न्यायपालिका कई दिनों से पर्यावरण के मामले में उलझी हुई है, पर्यावरण को रोकना न्यायपालिका का काम नहीं है, यदि न्यायपालिका पर्यावरण रोकेगी, न्यायपालिका यदि सड़क और जंगल देखेगी तो न्यायपालिका का काम कौन करेगा। दुर्भाग्य है कि आज न्यायपालिका का काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ का काम न्यायपालिका कर रही है। क्या न्यायपालिका के लिए यह उचित है कि वह सारे कार्य अपने हाथ में ले ले और अपना कार्य छोड़ दे। मैं समझता हूँ कि यह न्यायपालिका के लिए उचित नहीं है। अच्छा होगा कि विधायिका और कार्यपालिका के संबंध में जनता निर्णय ले और न्यायालय सुरक्षा और न्याय तक अपने को सीमित कर ले। आदर्श स्थिति यही होगी अन्यथा न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच कोई अंतर नहीं रह जाएगा।

7. युवा और वृद्ध को अलग-अलग विभाजित नहीं करना चाहिए :

3 दिसंबर, प्रातःकालीन सत्र। हम लोगों ने कल धर्म और जाति पर चर्चा की थी। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता और जाति के नाम पर जातीय टकराव समाज के लिए बहुत ही घातक हो गए हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह समाज में युवा और वृद्ध का एक भेदं खड़ा किया जा रहा है। सच बात यह है कि परिवार में ना कोई युवा होता है, ना कोई वृद्ध होता है, ना कोई महिला और पुरुष होता है। परिवार तो सब लोगों को मिलाकर एक इकाई बनता है जिसमें सब प्रकार के लोग होते हैं लेकिन किसी का पृथक अस्तित्व नहीं होता। दुर्भाग्य से हमारी राजनीतिक व्यवस्था युवा और वृद्ध के नाम से अलग-अलग विभाजन कर रही है। मैं इस बात को मानता हूँ कि वृद्ध लोगों में अनुभव अधिक होता है और युवाओं में सक्रियता अधिक होती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि युवा या वृद्ध कोई एक अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि समाज व्यवस्था में दोनों की ही अपनी-अपनी भूमिका है। बहुत से युवा पूरी तरह निष्क्रिय होते हैं और वृद्ध मरते तक सक्रिय रहते हैं इसलिए समाज में युवा सशक्तिकरण का नारा देना बिल्कुल घातक है। लेकिन हमारे राजनेता वर्ग संघर्ष को ही अपना आधार बनाना चाहते हैं इसलिए वे युवा सशक्तिकरण का नारा देते हैं। होना तो यह चाहिए था कि हम विधायिका में वृद्ध लोगों को अधिक महत्व देते, कार्यपालिका में युवाओं को अधिक महत्व देते और दोनों एक साथ मिलकर इस समाज व्यवस्था का संचालन करते लेकिन दुर्भाग्य से हम एक तरफ युवा सशक्तिकरण का नारा दे रहे हैं, दूसरी ओर वृद्धों को सहायता देने की बात कर रहे हैं। यह दोनों ही गलत है। इसलिए हम आप बैठकर इस युवा सशक्तिकरण के नारे का विरोध करें। हमें युवा और वृद्ध को अलग-अलग विभाजित नहीं करना चाहिए क्योंकि यह सब एक साथ मिलकर ही परिवार व्यवस्था या समाज व्यवस्था का संचालन करते हैं।

---

8. विशाल संविधान हमारे लिए मूर्खता और कलंक है, गर्व करने का विषय नहीं। :

सारी दुनिया में यह सिद्धांत मान लिया गया है कि जिस परिवार, देश या समाज में जितने ही अधिक कानून होते हैं उतना ही उस देश के लोगों का बौद्धिक स्तर कम होता जाता है। स्पष्ट है कि देश में संविधान या कानून कम से कम होना चाहिए। दुर्भाग्य है कि भारत में कानून की मात्रा भी बहुत ही ज्यादा हो गई है और हमारा संविधान भी दुनिया में सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। हमें तो आश्चर्य होता है कि इस संविधान का दुरुपयोग करने वाले और उनके चमचे लगातार इस बात पर गर्व करते हैं कि हमारा भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। अरे ना-समझो, बहुत बड़ा संविधान होना तुम्हारी मूर्खता की निशानी है, धूर्तता की निशानी है, समझदारी की नहीं। संविधान छोटे से छोटा होना चाहिए, कानून कम से कम होना चाहिए। लेकिन तुम अधिक से अधिक कानून बनाकर और संविधान बहुत बड़ा बनाकर गर्व कर रहे हो। हमारे संविधान बनाने वालों ने भी जो संविधान बनाया था वह यद्यपि आवश्यकता से बहुत बड़ा था लेकिन बाद में इस संविधान का दुरुपयोग करने वालों ने तो इसे और भी ज्यादा बड़ा करके दुरुपयोग की आशंकाएं खोल दीं। वास्तव में यदि इस संविधान को आदर्श और प्रभावकारी बनाया जाएं तो यह संविधान बहुत ही छोटा हो सकता है। इसमें 395 की जगह 150 अनुच्छेदों में आराम से सारा काम चल सकता है। मैं आप सबसे यह निवेदन करता हूँ कि बहुत बड़ा संविधान हमारे लिए मूर्खता और कलंक है, गर्व करने का विषय नहीं। सैद्धांतिक रूप से भी यह पूरी तरह गलत है और व्यावहारिक धरातल पर भी गलत है।

9. न्यायपालिका सहित सभी उच्च सरकारी संस्थान सिस्टम के आधार पर चलें :

वैसे तो आमतौर पर राहुल गांधी सिर्फ झूठ ही बोलते हैं, कभी वह सच बोलते ही नहीं है। अगर कोई बात सच भी बोल दे तो आम लोग उस बात को झूठ समझते हैं लेकिन राहुल गांधी ने पिछले दिनों यह बात बताई कि भारत की न्यायपालिका और उच्च सरकारी पदों पर संघ के लोगों को अधिक से अधिक भर्ती किया जा रहा है। यह बात मेरे विचार में भी सच है कि न्यायपालिका सहित अनेक उच्च पदों पर संघ के लोग भरती हो रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझा कि इसमें गलत क्या है। सच्चाई यह है कि नेहरू परिवार के समय न्यायालय में और उच्च पदों पर आधे से अधिक जेएनयू के लोगों का अधिकार था। अन्य लोग उन पदों पर आ ही नहीं पाते थे क्योंकि केवल कम्युनिस्ट समर्थित लोगों का ही वहां पहुंचना संभव था लेकिन धीरे-धीरे स्थितियां बदली। अब कंपटीशन में यदि संघ के लोग वहां अधिक पहुंच रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। यह बात दुनिया जानती है कि संघ के लोग अधिक ईमानदार होते हैं, अधिक चरित्रवान होते हैं, कम्युनिस्ट की तुलना में इनकी योग्यताएं बहुत होती हैं। पुराने जमाने में योग्यता को किनारे करके नेहरू परिवार इस प्रकार हस्तक्षेप करता था। अब योग्यता के आधार पर संघ के लोग जा रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है। आजकल राहुल गांधी बहुत अधिक न्यायपालिका के लोगों पर भी चिल्ला रहे हैं, राहुल और उनके समर्थक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की खुलकर आलोचना कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि अभी जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं, वे नेहरू परिवार के समय ही न्यायाधीश बने थे और राहुल गांधी को यह उम्मीद थी कि यह लोग वफादारी निभाएंगे लेकिन यदि इन लोगों ने ईमानदारी से निर्णय किया इसमें राहुल गांधी या उनके लोगों को चिल्लाने की क्या जरूरत है। मैं राहुल गांधी को सलाह देता हूँ कि वह भारत की न्यायपालिका सहित अन्य सभी उच्च सरकारी स्थान को किसी सिस्टम के आधार पर चलने दें, सिर्फ आलोचना करने से उनकी रही-सही इज्जत भी समाप्त हो जाएगी।

10. किसी के प्रति द्वेष पैदा करना समाज विरोधी कार्य मानना चाहिए। :

आज 4 दिसंबर, प्रातःकालीन सत्र। सामाजिक व्यवस्था में धर्म, जाति, उम्र, महिला, पुरुष आदि अनेक आधारों पर वर्ग-विद्वेष बढ़ाकर वर्ग-संघर्ष करना राजनीति का महत्वपूर्ण कार्य है। इसी क्रम में समाज को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है गरीब और अमीर के बीच मतभेद और संघर्ष करने का प्रयोग। वैसे तो भारत का हर राजनेता इस मामले में सक्रिय रहता है लेकिन साम्यवाद तो इसी आधार पर ही जिंदा रहता है। वह तो दिन-रात गरीब अमीर के नाम पर समाज को विभाजित करता ही रहता है। आप इस बात पर गंभीरता से विचार करिए कि यदि कोई व्यक्ति गरीब है और कोई व्यक्ति अमीर है और वह अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार है इसमें किसी का क्या दोष है यदि दोष होगा तो ईश्वर का होगा। यदि कोई अमीर व्यक्ति गरीब की मदद नहीं करता है तो यह कोई अपराध नहीं है आप उसको दोषी नहीं कह सकते। इतना जरूर है कि यदि किसी भी गरीब की बलपूर्वक-छलपूर्वक या किसी कानूनी प्रावधान को बनाकर गरीब बनाए रखा जाता है या उसकी योग्यता के अनुसार उसे आगे बढ़ने से रोका जाता है, तब हम उसे अपराध कह सकते हैं। कमजोर की मदद करना मजबूतों का स्वैक्षिक कर्तव्य होता है कमजोर का अधिकार नहीं। सच्चाई है कि ना कोई गरीब होता है, ना कोई अमीर होता है क्योंकि हम जिसे गरीब कहते हैं उसके नीचे भी लाखों लोग उसे अमीर मानते हैं और हम जिसे अमीर कहते हैं उससे ऊपर में लाखों लोग होते हैं जो उसकी अपेक्षा अमीर होते हैं। इस तरह ना कोई व्यक्ति सबसे अधिक गरीब होता है ना कोई सबसे अधिक अमीर यह गरीब और अमीर का योग्यता अनुसार विभाजन प्राकृतिक है और जो भी व्यक्ति गरीब और अमीर के बीच में टकराव करना चाहता है वह समाज का शत्रु है, उसे सामाजिक एकता पसंद नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप गरीबों की मदद कर सकते हैं लेकिन किसी गरीब के मन में अमीर के प्रति द्वेष पैदा करना यह समाज विरोधी कार्य माना जाना चाहिए।

11. धर्मगुरुओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का घटता प्रभाव और राजनेताओं का बढ़ता हस्तक्षेप :

हमारी वर्तमान सामाजिक व्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही है। यहां तक कि प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव में स्वार्थ और हिंसा बढ़ रही है। यह बात साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था में गड़बड़ी हुई है। वर्तमान भारत में 90% ऐसे लोग हैं जो अपनी रोजी-रोटी में लगे हैं। यह 90% लोग सरकार को भी तरह-तरह के टैक्स देते हैं, धर्मगुरुओं को भी दान देते हैं, सामाजिक संस्थाओं को भी चंदा देते हैं और इतना सब कुछ देने के बाद भी समाज को किसी तरह का लाभ न होकर नुकसान ही हो रहा है। हम लोगों ने यह सर्वे किया कि इस तरह धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में लगे हुए यह 10% लोग या तो अपना काम ठीक से कर नहीं रहे हैं या उल्टा कर रहे हैं। हम लोगों ने इस संबंध में सर्वे किया है और उस सर्वे में यह पाया है कि 10% लोगों में राजनेताओं की हालत सबसे अधिक खराब है, इनमें राजनेताओं में 95% लोग या तो भ्रष्ट है या समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यदि आप पूरे जोर-शोर से यह खोजने निकलेंगे कि राजनेताओं में कौन ऐसा है जो इस कार्य को सामाजिक समझ कर कर रहा है तो शायद आपको शून्य परिणाम मिलेगा। सामाजिक संस्थाओं में तथा धर्मगुरुओं में ऐसे लोगों की संख्या 40-50%है जो इस कार्य को समाज सेवा समझ रहे हैं, भले ही में कुछ मामलों में गलतियां कर रहे है। स्पष्ट है कि हमारी सारी सामाजिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने में सबसे अधिक राजनेताओं की भूमिका है क्योंकि राजनेता सबसे अधिक धन वसूल कर रहा है, सबसे अधिक धन का दुरुपयोग भी कर रहा है और सबसे अधिक वर्ग-संघर्ष भी फैला रहा है। राजनेताओं की तुलना में धर्मगुरुओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का ना तो इतना दबाव है और न ही इतना प्रभाव है। यहां तक कि लगातार धर्म गुरुओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रभाव घटता जा रहा है और राजनेताओं का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम राजनीति निरपेक्ष समाज व्यवस्था पर चर्चा करें।

---

12. भारत में कानून या जबरदस्ती का शासन चलेगा। :

सायंकालीन चर्चा में हम विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी की चर्चा करते हैं। आज राहुल गांधी संभल जाना चाहते थे। पुलिस और सरकार ने उन्हें संभल जाने से रोक दिया था लेकिन वह जबरदस्ती जाने पर अड़े हुए थे। गाजीपुर बॉर्डर पर उनको रोका गया तब वहां विवाद करने लगे, इसके कारण वहां बहुत बड़ा जाम लग गया और जाम के कारण जब बहुत लोगों को परेशानियां हुई तो लोगों ने उतरकर राहुल के कुछ समर्थकों की पिटाई भी की। बेचारे कई कांग्रेसी भीड़ से मार खा गए। भीड़ ने वहां जो किया, उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। राहुल और प्रियंका वहीं से वापस हो गए। मैं नहीं समझता कि भारत में कानून का शासन या जबरदस्ती का शासन चलेगा। राहुल गांधी लगातार अपनी नीतियां बदल रहे हैं, अभी-अभी दो दिन पहले ही राहुल गांधी को ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने झटका दिया। राहुल की जिद थी कि संसद नहीं चलेगी, हम संसद को अडानी के नाम पर रोक कर रखेंगे लेकिन ममता और अखिलेश के झटका के बाद राहुल गांधी को अपने कदम वापस लेने पड़े। वैसे भी मुझे अच्छी तरह याद है कि तीन-चार वर्ष पहले तक राहुल गांधी हमेशा महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी पर चर्चा करते थे। उनका मुख्य मुद्दा महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी ही था लेकिन पिछले एक-दो वर्षों से उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी से अपने मुद्दे को हटाकर इवीएम, जाति जनगणना और संविधान की दिशा में मोड़ दिया है। अब हर मीटिंग में राहुल गांधी इवीएम, जातिवाद और संविधान की ही चर्चा करते हैं। इस तरह उन्होंने अपनी नीतियों में आमूल-चूल बदलाव भी किया है। देखिए क्या परिणाम निकलता है। यदि हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह भारत की जनता ने एक झटका और दिया तो संसद भी ठीक-ठाक चलती रहेगी, गाजीपुर बॉर्डर भी खुला रहेगा और इवीएम भी आराम से काम करती रहेगी।

13. तोड़फोड़ और विभाजन करने के लिए राजनेताओं के संवैधानिक नाटक :

5 दिसंबर, प्रातः कालीन सत्र। आज से हम 10 दिनों तक इस गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे कि पूरे समाज में संवैधानिक तरीके से तोड़फोड़ और विभाजन करने के लिए हमारे राजनेता कौन-कौन सा नाटक करते हैं, जिन नाटकों में भूल कर अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन नाटकों में से सबसे पहला नाटक यह है कि हमारे देश का कोई भी राजनेता निष्कर्ष निकालने के लिए भावनात्मक चर्चा का सहारा लेता है, तर्क-वितर्क का कभी सहारा नहीं लिया जाता। जिस प्रकार संसद में गुंडागर्दी होती है, मारपीट होती है, हल्ला होता है, नारेबाजी होती है, वह सब इसी प्रकार भावनात्मक शोषण का आधार है। इस तरह की उछल-कूद और नाटक बाजी के चलते ही यह लोग हम लोगों को भ्रमित करने में सफल हो जाते हैं। नेता लोग आपसी व्यवहार में एकजुट रहते हैं लेकिन जहां संसद में बैठकर गंभीर चर्चा होनी चाहिए वहां कभी गंभीर चर्चा का वातावरण बनता ही नहीं है। वहां तो फिर झूठ बोला जाता है, संसद में तर्क वितर्क तो होता ही नहीं है। मेरे विचार से निष्कर्ष निकालने में भावनाओं की भूमिका नहीं होती, निष्कर्ष निकालने में तर्क की भूमिका होती है और समझौता करने में भावनाओं की भूमिका होती है। लेकिन संसद में भावनात्मक तरीके से निरंतर चर्चा होती है। हर राजनेता पूरी ईमानदारी से तर्क-वितर्क से दूर भागना चाहता है। आप देखेंगे कि टीवी चौनल में भी हमारे राजनेता जिस तरह की नाटकबाजी करते हैं, वह सिर्फ भावनात्मक होती है, उसमें वास्तव में कोई सच्चाई नहीं होती। दो भाई राम और रावण के रूप में मंच पर आकर जिस तरह का ड्रामा करते हैं, युद्ध करते हैं, उस युद्ध का उद्देश्य दर्शकों का भावनात्मक शोषण करना होता ह। इसी तरह हमारे राजनेता भी संसद या समाज में दर्शकों का शोषण करने के लिए भावनात्मक रूप से आपस में टकराने का नाटक करते हैं। हमें चाहिए कि हम राजनेताओं की इस कलाबाजी से बचें।

14. न्यायपालिका की अपराध नियंत्रण में संदेहास्पद भूमिका :

जिस तरह मुसलमान में कुछ लोग आतंकवादी होते हैं और कम्युनिस्ट में भी होते हैं, उसी तरह सिखों में भी कुछ आतंकवादी होते हैं, जिन्हें खालिस्तानी कहा जाता है। यह हमेशा मरने-मारने को तैयार रहते हैं, इन्हें धर्म से कोई लेना-देना नहीं है, यह तो अपने संगठन को ही अंतिम धर्म मान लेते हैं। इसी तरह के एक आतंकवादी नारायण सिंह चौरा ने कल अमृतसर गुरुद्वारे के अंदर अकाली दल के एक बहुत बड़े नेता की हत्या करने की कोशिश की। यह घटना गुरुद्वारे के अंदर घटित हुई है। उक्त व्यक्ति लंबे समय से घोषित अपराधी है। उस पर कई दर्जन मुकदमे लंबित हैं। हत्या, अपहरण तथा अन्य प्रकार के अनेक मुकदमे होने के बाद भी वह न्यायालय से जमानत पर छूट जाता रहा है। इस नारायण सिंह ने बेअंत सिंह के हत्यारे को भी जेल से भागने में मदद की थी। इतने खूंखार अपराधी को न्यायालय द्वारा बार-बार जमानत मिलना यह हमारी न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। सवाल यह उठता है कि हमारे भारत की न्यायपालिका राम रहीम या आसाराम के साधारण अपराधों के विषय में इतना त्वरित और कठोर दंड का प्रावधान करती है, वही न्यायपालिका हत्यारों के मामले में ना दंड दे पाती है, ना ही न्याय दे पाती है, न्यायपालिका यह कहती है कि हम कानून से बंधे हैं। अभी हाल-फिलहाल ही उत्तर प्रदेश सरकार ने आतंकवाद नियंत्रण के लिए एक कठोर कानून बनाया और न्यायपालिका उस कानून पर विचार कर रही है कि यह कानून बहुत ज्यादा कठोर है। कोई सरकार यह आदेश देती है कि प्रत्येक दुकानदार अपनी दुकान का नाम, पता और विवरण घोषित करेगा, न्यायपालिका उसे नियम विरुद्ध मान लेती है। सवाल यह उठता है कि भारत में जितने प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं, इसमें न्यायपालिका की भूमिका कितनी मानी जानी चाहिए। यदि न्यायपालिका कानून की भी समीक्षा करता है, संविधान की भी समीक्षा करता है, दंड की भी समीक्षा करता है तो बढ़ते हुए अपराधों के लिए दोषी भी न्यायालय को ही होना चाहिए। न्यायपालिका इस तरह पल्ला झाड़ कर नहीं निकल सकती। मेरे विचार से भारत में बढ़ते हुए अपराध और अराजकता के मामले में न्यायालय को भी अपनी नीतियों पर फिर से विचार करना चाहिए। कोई व्यक्ति जमानत पर छूटने के बाद भी यदि दोबारा अपराध करता है तो न्यायपालिका को उत्तरदाई होना चाहिए।

15. किसे समर्थन करूं?नरेंद्र मोदी के लोकतंत्र या योगी आदित्यनाथ के न्यायपूर्ण शासन का।ः

हम पिछले कुछ वर्षों से नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की कार्य प्रणाली को गंभीरता से देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करना चाहते हैं। दुनिया की प्रतिक्रियाओं का भी ख्याल करते हैं। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ पूरी तरह समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ अराजकता को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं कर सकते। आर्थिक मामलों में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों ही शत-प्रतिशत ईमानदार हैं लेकिन लोकतांत्रिक मामलों में दोनों में जमीन-आसमान का फर्क है। अभी हम वर्षों से देख रहे हैं कि किसानों के नाम पर कुछ गुंडे लगातार सडकें बंद किए हुए हैं, उन लोगों ने हंगामा को अपना व्यापार बना लिया है। वे अपना सब कुछ छोड़-छाड़ कर सिर्फ गुंडागर्दी पर उतारू हैं। कभी दिल्ली चलो का नारा देते हैं, कभी पंजाब और हरियाणा में समस्याएं पैदा करते हैं, कभी यह गुंडे रेल बंद कर देते हैं, कभी सड़के बंद कर देते हैं। इन्हें ना लोकतंत्र से मतलब है, ना न्याय से मतलब है, ना कानून से मतलब है, इनका मतलब है अपनी गुंडागर्दी का। किसी तरह गुंडागर्दी करते हुए यह लोग कल नोएडा ;छब्ल्द्ध पहुंच गए थे, जहां योगी आदित्यनाथ का शासन है। नोएडा में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके शाम को छोड़ दिया गया लेकिन योगी आदित्यनाथ ने फिर से आदेश दिया कि किसी भी परिस्थिति में गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने गुंडागर्दी की है और भविष्य में भी कर सकते हैं, उन गुंडो को जेल से बाहर निकलना ठीक नहीं है। मुझे खुशी हुई कि आज योगी आदित्यनाथ के आदेश पर उन गुंडो को फिर से पकड़ा गया है। इसी तरह संभल में भी योगी आदित्यनाथ ने साफ-साफ आदेश दिया है कि जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान किया है, उन सब से कड़ाई से वसूली की जानी चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से इसी दुविधा में पड़ा हूँ कि मैं नरेंद्र मोदी के लोकतंत्र का समर्थन करूं या योगी आदित्यनाथ के न्याय का।

---

16. राष्ट्र और राज्य की भूमिका अलग-अलग होते हुए भी लगभग समान हैं। :

6 दिसंबर, प्रातःकालीन सत्र सामाजिक विषय। राष्ट्र और राज्य की भूमिका बिल्कुल अलग-अलग होती है लेकिन वर्तमान समय में दोनों लगभग समान अर्थ रख रहे हैं। राज्य ने राष्ट्र की भूमिका को पूरी तरह अपने नियंत्रण में कर लिया है। वर्तमान दुनिया में और खासकर भारत में विशेष रूप से राज्य ने राष्ट्र को समाज से भी ऊपर स्थापित कर दिया है। वास्तव में समाज राष्ट्र से ऊपर होता है लेकिन समाज से ऊपर राष्ट्र मानने की भावना घर-घर में व्याप्त हो गई है। राज्य सारी शक्ति लगाकर राष्ट्र को समाज से ऊपर सिद्ध करना चाहता है जिससे सामाजिक एकजुटता छिन्न-भिन्न हो रही है और राष्ट्रवाद के नाम पर दुनिया के लोग आपस में एक-दूसरे से टकराते रहे हैं। राज्य कभी नहीं चाहता कि सामाजिक एकजुटता हो और इस सामाजिक एकजुटता में तोड़फोड़ के लिए ही राज्य राष्ट्र शब्द का दुरुपयोग करता है। संघ के लोग तो राष्ट्र भाव को जागृत करने में सबसे आगे रहते हैं लेकिन अन्य लोग भी राष्ट्र भाव को आगे करने में पीछे नहीं रहते। मैं मानता हूँ कि इस्लाम की धार्मिक एकजुटता के प्रत्युत्तर में संघ राष्ट्र के नाम पर एकजुटता का जवाब देता है, फिर भी यह अल्पकालिक समाधान है, सैद्धांतिक उत्तर नहीं। इस तरह मैं यह समझता हूँ कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था जिस प्रकार के नाटक करती है, उन नाटकों में एक यह नाटक भी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्र भावना को सामाजिक भावना से भी ऊपर स्थापित कर दिया जाए। आप विचार करिए यदि भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आपस में लड़ जाएं और दोनों के बीच में युद्ध छिड़ जाता है तो क्या भारत के सभी लोगों को बिना सोचे समझे पाकिस्तान से युद्ध में शामिल हो जाना चाहिए और क्या इसी तरह पाकिस्तान के लोगों को भी करना चाहिए। क्या यह उचित होगा कि हम सामाजिक एकजुटता को समाप्त करके राष्ट्र को ऊपर मान लें। मेरे विचार से यह उचित नहीं होगा। इस लिए हम आप मिल बैठकर इस समस्या का समाधान खोजें।

17. महाराष्ट्र चुनाव के बाद शपथ ग्रहण समारोह :

सायंकालीन सत्र में राजनीतिक चर्चा के अंतर्गत कल हुए महाराष्ट्र के शपथ ग्रहण समारोह की हम बात कर रहे हैं। कल के समारोह में सत्तारूढ़ दल के लगभग सभी बड़े नेता पहुंचे थे, उन बड़े नेताओं में बिहार के मुख्यमंत्री भी थे और आंध्र के मुख्यमंत्री भी थे। जो विपक्ष बहुत समय से यह उम्मीद लगा रहा था कि बिहार और आंध्र के मुख्यमंत्री कभी भी मोदी को झटका देंगे, उन लोगों को बहुत मायूसी हुई है कि कल के शपथ ग्रहण समारोह में यह दोनों मुख्यमंत्री पूरे समय तक उपस्थित रहे। लेकिन सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि उस पूरे समारोह में सभी बड़े उद्योगपति उपस्थित थे, उसमें बिरला भी थे, टाटा भी थे और जो भी बड़े उद्योगपति थे, वह सब वहां मौजूद थे। उस पूरे कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी के बड़े दोस्त उद्योगपति अदानी भी थे, अंबानी तो थे ही। यह बात जगजाहिर हो चुकी है कि भारत की वर्तमान केंद्र सरकार उद्योगपतियों के माध्यम से देश का आर्थिक विकास करने की और तत्पर है जिससे देश आर्थिक मामलों में और उन्नति करें और विकेन्द्रीकरण के सिद्धांत पर अंतिम इकाई तक उसका लाभ मिले। इस योजना का हमेशा राहुल गांधी और कम्युनिस्ट विरोध करते हैं। यह बात भी जग जाहिर है कि सबसे बड़े उद्योगपति अडानी, अंबानी को नरेंद्र मोदी विशेष महत्व देते हैं क्योंकि मोदी सरकार अडानी, अंबानी के माध्यम से दुनिया की अर्थव्यवस्था में अपनी विशेष भूमिका देखती है और राहुल गांधी लगातार इन दोनों का विरोध करके देश की अर्थव्यवस्था के बिगड़ने का दोष नरेंद्र मोदी पर डालना चाहते हैं। कल मुझे लगा कि महाराष्ट्र की सरकार भी इस बात से बहुत चिंतित थी कि हमारे महाराष्ट्र के उद्योगपति गुजरात जा रहे हैं इसलिए वहां ऐसा माहौल बनाया गया कि बड़े-बड़े उद्योगपतियों को सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया गया जिससे महाराष्ट्र के उद्योग गुजरात ना चले जाएं। राहुल गांधी ने भरपूर प्रयत्न किया कि महाराष्ट्र में उद्योगों का विरोध किया जाए और केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया जाए कि महाराष्ट्र के उद्योगपति गुजरात क्यों जा रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी पूरी ताकत लगाकर महाराष्ट्र में उद्योगों को बदनाम कर रहे थे। कल के शपथ ग्रहण समारोह के बाद ऐसी आशा बन रही है कि अब महाराष्ट्र भी अदानी के माध्यम से धीरे-धीरे औद्योगिक संतुलन बना सकेगा।

18. भारतीय परिवार व्यवस्था हमारी मजबूत संस्कृति की पहचान हैं :

हमारी शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक और पूंजीवादी है। लोग अपनी क्षमता के अनुसार अधिक से अधिक धन कमाने के लिए स्वतंत्र है और अपनी प्रतिष्ठा के लिए वे समय-समय पर धन समाज के बीच खर्च करते हैं। इस खर्च की राशि पर उनकी प्रतिष्ठा का समाज में निर्धारण होता है। इस खर्च करने की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण संस्कार विवाह पद्धति को माना जाता है। विवाह एक ऐसा अवसर होता है जहां व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा के लिए संतुलित खर्च करता ही है। जो लोग अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करते हैं, उन्हें पारिवारिक अराजकता झेलनी पड़ती है, उनकी स्थिति आंतरिक रूप से खराब हो जाती है और कर्ज में डूब जाते हैं, जो लोग क्षमता से कम खर्च करते हैं वह कंजूस माने जाते हैं, उनकी समाज में प्रतिष्ठा घटती है इसलिए अधिकांश लोग यह प्रयत्न करते हैं कि समाज में संतुलित खर्च किया जाए। हर व्यक्ति के सामने यह संकट होता है कि वह यदि कम खर्च करता है तब समाज में उसकी बदनामी होती है और यदि वह अधिक खर्च करता है तो कम्युनिस्ट लोग उसके खिलाफ अनेक प्रकार की अफवाहें उड़ाते हैं। मेरे विचार से जिनके पास संपत्ति है, उन्हें विवाह संस्कार, नामकरण संस्कार आदि अवसरों पर खर्च करना ही चाहिए क्योंकि धन का बहुत अधिक एकत्रीकरण अच्छी आदत नहीं है। यदि आवश्यक अवसरों पर वह धन समाज के बीच बँट जाता है तो यह बहुत अच्छी बात है भले ही इस तरह के बंटवारे से साम्यवादियों को कष्ट होता हो। मेरा अपना विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे अवसरों पर अपनी क्षमता के अनुसार खर्च करना ही चाहिए भले ही उन्हें कम्युनिस्टों की गालियां ही क्यों ना सुननी पड़े। मैं अपने मित्रों को भी सलाह देता हूँ कि विवाह आदि अवसरों पर किसी को भी सादगी और कम खर्च करने की सलाह देना उचित नहीं है क्योंकि संपत्ति का समाज के बीच जाना एक अच्छी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को संतुलित रूप से बनाए रखना चाहिए। समाज सुधार के नाम पर जो लोग उनकी आलोचना करते हैं, मेरे विचार से वह गलत है।

19. प्रत्यक्ष चुनाव लोकतंत्र में आदर्श स्थिति हैं :

लोकतंत्र में प्रत्यक्ष चुनाव आदर्श स्थिति मानी जाती हैं साथ ही यह बात भी सही है कि प्रत्यक्ष मतदान हमेशा महंगा होता है, खर्चीला होता है। इसलिए प्रत्यक्ष मतदान और परोक्ष मतदान के बीच का मार्ग अपनाया जाता है। लेकिन यदि बिना अतिरिक्त खर्च के प्रत्यक्ष मतदान संभव है तो अधिक से अधिक अवसरों पर प्रत्यक्ष मतदान का सहारा लेना चाहिए। हमारी छत्तीसगढ़ सरकार इस बात के लिए बधाई की पात्र है कि उसने कांग्रेस पार्टी के परोक्ष मतदान की प्रणाली को बदल दिया है। स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अधिक से अधिक प्रत्यक्ष मतदान की पक्षधर है और कांग्रेस पार्टी हर समय परोक्ष मतदान के पक्ष में रहती है। पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली को बदलकर नगरीय चुनाव में परोक्ष मतदान लागू कर दिया था जिसे भाजपा की सरकार ने आते ही बदल दिया है। अब नगर निगम तथा नगर पालिकाओं में प्रत्यक्ष चुनाव होंगे। ग्राम पंचायत में तो प्रत्यक्ष चुनाव होते ही रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने प्रत्यक्ष चुनाव का विरोध किया है क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी भी आम जनता पर विश्वास नहीं करती बल्कि जनप्रतिनिधियों पर विश्वास करती है और भारतीय जनता पार्टी जनता पर अधिक विश्वास करती है। मेरा तो यह सुझाव है कि भारत के राष्ट्रपति का भी चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होना चाहिए। परोक्ष मतदान के द्वारा नहीं और यदि राष्ट्रपति के अतिरिक्त भी किसी प्रणाली में बिना कोई खर्च प्रत्यक्ष मतदान संभव है तो हरसंभव उसका सहारा लेना चाहिए। भारत की कांग्रेस पार्टी को इस संबंध में अपनी नीति बदलनी चाहिए क्योंकि हम लोकतंत्र से पीछे जाने की स्थिति का समर्थन नहीं कर सकते। हम लोकतंत्र में नए संशोधन स्वीकार कर सकते हैं लेकिन लोकतंत्र को कमजोर करके तानाशाही की दिशा में जाने का प्रयत्न कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए।

20. लोकतांत्रिक व्यवस्था में गांधी की भूमिका :

वर्तमान भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में गांधी की भूमिका का क्या स्थान है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। स्वतंत्रता के बाद ही पंडित नेहरू और उनके परिवार ने गांधी की प्रशंसा करके गांधी की सारी नीतियों को उलट दिया। गांधी की एक भी ऐसी विचारधारा नहीं रही जो नेहरू परिवार ने पलट ना दी हो या उसकी पूरी तरह विरोध ना किया हो। दूसरी ओर इन लोगों ने गांधी की सारी विरासत पर कब्जा करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। गांधी टोपी, गांधी की खादी, गांधी का नाम, गांधी की माला और पता नहीं इस परिवार ने आज तक गांधी के नाम का कितना दुरुपयोग किया। दूसरी ओर संघ परिवार ने लगातार गांधी शब्द का विरोध किया, गांधी का भी लगातार विरोध किया गया, गांधी को अपमानित भी किया गया और स्वतंत्रता के बाद लगातार गांधी की सारी नीतियों को लागू करने का प्रयत्न किया गया। पिछले 10 वर्षों से नरेंद्र मोदी सरकार गांधी की सभी नीतियों को एक-एक कर लागू कर रही है, भले ही गांधी की प्रशंसा अधिक न करें क्योंकि नरेंद्र मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि गांधी की नीतियां समाज के लिए हितकर है और गांधी का नाम राजनीतिक रूप से उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी ओर नेहरू परिवार दिन-रात गांधी की नीतियों का विरोध कर रही है क्योंकि नेहरू परिवार अच्छी तरह जानता है कि गांधी का नाम उनकी राजनीतिक शक्ति को लाभ पहुंचा सकता है और गांधी का काम उनको नुकसान पहुंचा सकता है। गांधी धर्मनिरपेक्ष भी थे और प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार देने के पक्षधर थे जबकि नेहरू परिवार लगातार आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का अधिक से अधिक साम्यवादीकरण और केंद्रीयकरण करती रही। नरेंद्र मोदी सरकार इन दोनों मामलों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। गांधी हिंदी का बहुत अधिक सम्मान करते थे, नेहरू सरकार हिंदी के पूरी तरह विरुद्ध रही। नरेंद्र मोदी सरकार हिंदी के पक्ष में खड़ी है। अभी तक श्रम के मामले में मोदी ने कोई नया कदम नहीं उठाया है, जबकि गांधी श्रम सम्मान के बहुत बड़े पक्षधर रहे हैं। इस तरह भारत में स्वतंत्रता से लेकर अब तक अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, जहां नेहरू परिवार ने अपने को गांधी का वारिस सिद्ध करके गांधी की नीतियां उलट दी और नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने को गांधी से स्वतंत्र मानकर गांधी की सारी नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया। यही कारण है कि मैं गांधी का समर्थक होने के कारण नरेंद्र मोदी के पक्ष में हूँ, नेहरू परिवार के पक्ष में नहीं।

21. व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार कितना उचित कितना अनुचित :

8 दिसंबर, प्रातःकालीन सत्र। आज हम व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार पर चर्चा करेंगे। पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति को मौलिक अधिकार माना गया है। साम्यवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति को मौलिक अधिकार नहीं माना गया है। यह सच है कि यदि व्यक्तिगत संपत्ति को मौलिक अधिकार मान लिया गया तो प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत संपत्ति रखने की असीम स्वतंत्रता होगी जिससे व्यक्ति के स्वभाव में स्वार्थ लगातार बढ़ सकता है और आप उस बढ़ते स्वार्थ को रोक नहीं सकते। दूसरी ओर यदि व्यक्तिगत संपत्ति की स्वतंत्रता राज्य तक चली गई तो राज्य उद्दंड हो सकता है, आप राज्य की उद्दंडता को भी नहीं रोक सकते इसलिए मेरा इस संबंध में सुझाव है कि व्यक्तिगत संपत्ति रखना मौलिक अधिकार तो रहे किंतु व्यक्तिगत संपत्ति की स्वतंत्रता निरंकुश ना हो। स्पष्ट है कि मैं व्यक्तिगत संपत्ति की असीम स्वतंत्रता का विरोधी हूँ और मेरे विचार से संपत्ति के मामले में राज्य का भी किसी तरह का हस्तक्षेप उचित नहीं है। गांधी इस दिशा में गंभीर चिंतन कर रहे थे और गांधी ने यह सलाह दी थी कि संपत्ति के मामले में एक ट्रस्टीशिप का तरीका बनना चाहिए। अकाल मृत्यु के कारण गांधी इस बात को आगे नहीं बढ़ा सके, न ही समझा सके लेकिन मैं इस बारे में साफ समझता हूँ कि व्यक्तिगत संपत्ति को पारिवारिक संपत्ति में बदल जाना चाहिए क्योंकि व्यक्तिगत संपत्ति की स्वतंत्रता निरंतर व्यक्ति के स्वभाव में स्वार्थ बढ़ा रही है और स्वार्थ का बढ़ना टकराव का आधार बन रहा है। मैं अंतिम रूप से इस निष्कर्ष तक पहुंच चुका हूँ कि व्यक्तिगत संपत्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित करना ही चाहिए, उसका चाहे तरीका जो भी बने, वह हम मिल बैठकर निकालें। इस लिए हम आप सब एक साथ बैठकर व्यक्तिगत संपत्ति और सरकारी संपत्ति इन दोनों के बीच का मार्ग तलाश करें। मेरा इस संबंध में प्रस्ताव है कि व्यक्तिगत संपत्ति को पारिवारिक संपत्ति में बदल दिया जाना चाहिए।

22. विस्तारवाद और कट्टरवाद :

अभी तीन-चार दिनों से नरेंद्र मोदी विदेश में कई देशों में जा रहे हैं। उनमें कुछ मुसलमान देश भी है और कुछ अन्य देश भी है। कई जगह नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया जा रहा है। यहां तक की धीरे-धीरे नरेंद्र मोदी की एक विश्व स्तरीय नेता की छवि स्थापित होती जा रही है। बताया तो यहां तक जाता है कि अमेरिका में अभी जो चुनाव हुए हैं, उन चुनाव में भी नरेंद्र मोदी का प्रभाव पड़ा है। वहां के भावी राष्ट्रपति ट्रंप ने आज बयान भी दिया है कि हमारे प्रशासन में न्यायपालिका सहित अनेक स्थानों पर कम्युनिस्ट भर दिए गए हैं, इस पर भी हमें विचार करना होगा। सबसे बड़ी शोचनीय स्थिति यह है कि एक तरफ दिन-रात राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को भ्रष्ट उपाधि दे रहे हैं, सांप्रदायिक बता रहे हैं, अदानी का एजेंट बता रहे हैं। सपने में भी राहुल गांधी अदानी अदानी चिल्लाते रहते हैं और उसके बाद भी पूरी दुनिया में राहुल गांधी का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। आखिर यह विचारनीय विषय है कि राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं उनकी इतनी प्रतिष्ठा क्यों गिर गई कि लोग उनके कहे हुए को पूरी तरह से झूठ कहने लग गए। मुस्लिम देश भी यह मानने को तैयार नहीं है कि राहुल सच बोल रहे हैं। राहुल तो हमेशा मुसलमानों के पक्ष में बोलते रहते हैं इसके बाद भी दुनिया के मुस्लिम देश नरेंद्र मोदी के साथ संपर्क बनाकर रखते हैं। राहुल गांधी को अब इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए। जिस तरह राहुल गांधी, अदानी को लेकर दिन रात बोलते हैं उससे कहीं ऐसा सिद्ध ना हो जाए की हाथी चले बाजार कुत्ते मोंके हजार। अगर ऐसी छवि बन गई तो राहुल के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं जानता हूँ अडानी ने अमेरिका से कोई ठेका लेने के लिए लोगों को घूस दी होगी। आमतौर पर उद्योगपति घूस देते ही हैं। घूस देना कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है, घूस लेना ज्यादा अपराध है। राहुल पर चीन से घूस लेने के आरोप लगे थे, देने के आरोप नहीं लगे। अभी तक किसी विपक्ष नेता पर घूस देने के आरोप नहीं लगे हैं लेने के आरोप लगे हैं। उत्तर राहुल को देना चाहिए की उनकी लगातार एक झूठ व्यक्ति के रूप में छवि क्यों स्थापित होती जा रही है।

23. समाज को गुलाम बनाए रखने के लिए राजनीति का चौथा नाटक :

9 दिसंबर, प्रातःकालीन सत्र। हम कई दिनों से इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि भारत की राजनीति समाज को मानसिक आधार पर गुलाम बनाए रखने के लिए कौन-कौन से 10 प्रकार के नाटक करती है। इन नाटकों में से हम तीन पर पहले चर्चा कर चुके हैं - एक है समाज को कभी एकजुट नहीं होने देना, दूसरा है समाज में भावनात्मक टकराव को आगे बढ़ाना और वैचारिक धरातल को लगातार कमजोर करना, तीसरा है समाज को लगातार कमजोर करके राष्ट्र शब्द को ऊपर उठाना, राष्ट्र भाव को मजबूत करना। आज हम चौथे विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह हमारी राजनीति समाज के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अपराध भाव जागृत करने के लिए अधिक से अधिक कानून बनाती है और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मजबूर कर देती है कि वह उन कानून का पालन न कर पावे जिससे वह अपने को अपराधी माने। इसीलिए अपराध की परिभाषा भी बदल दी जाती है, अनैतिक कार्यों को भी अपराध मान लिया जाता है। आज भारत की यह स्थिति है कि भारत में एक भी व्यक्ति सिर उठाकर नहीं कह सकता कि वह अपराधी नहीं है। किसी भी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार के लांछन लगाए जा सकते हैं क्योंकि भारत का हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में कानून तोड़ता ही है, चाहे वह राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, चाहे वह भिखारी ही क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति पूरी तरह कानून का पालन करने का दावा नहीं कर सकता। यही कारण है कि भारत के बड़े-बड़े अपराधी भी अच्छे-अच्छे ईमानदार और चरित्रवान लोगों पर लांछन लगा देते हैं और बेचारे ईमानदार और चरित्रवान लोग इन गुंडो के सामने सर झुका लेते हैं क्योंकि वह अपने को अपराधी समझते हैं। भारत के अनेक धर्मगुरु भी हम लोगों को यही शिक्षा देते हैं कि हम गलत हैं, “हम सुधरेंगे जग सुधरेगा” यह नारा वर्तमान समय में पूरी तरह समाज का मनोबल तोड़ने वाला है। वास्तव में हम गलत नहीं हैं गलत हैं राजनेता जिन्होंने इतने अधिक कानून बना दिए हैं, जिसका पालन करना संभव ही नहीं है। इसलिए अब गर्व से कहिए कि हम अपराधी नहीं है, हम गलत कार्य नहीं करते हैं, दो नंबर का कार्य करना गैर-कानूनी है, अपराध नहीं और हम तीन नंबर का कोई कार्य नहीं करते हैं इसलिए हम अपराधी नहीं हैं। जब तक हमारा आत्म बल मजबूत नहीं होगा, तब तक हम सिर उठाकर राजनेताओं से बात नहीं कर सकेंगे।

24. देश की सुरक्षा के लिए घातक है विदेशी पूंजीपति का सीधा हस्तक्षेप :

यह बात सर्वविदित है कि राजनीतिक नीतियां बनाने में पूंजीपतियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और पूंजीपति राजनीतिक दलों को बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता करके सत्ता का लाभ उठाते हैं, भारत भी इससे अलग नहीं है। भारत में भी स्वतंत्रता के बाद लगभग सभी राजनीतिक दल पूंजीपतियों से गुप्त रूप से धन लेते रहे और उन्हें राजनीतिक लाभ देते रहे। वर्तमान भारत सरकार भी इससे अलग नहीं है। प्रायरू रोज ही चर्चा होती है कि अडानी या अंबानी सत्तारूढ़ दल को बहुत आर्थिक मदद करते हैं और उस मदद के नाम पर अनेक प्रकार की सहायता लेते हैं। लेकिन आज यह बात पहली बार खुलकर सामने आई कि कांग्रेस पार्टी एक विदेशी उद्योगपति सोरेश के हाथों खेल रही है। अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय राजनीति पर कांग्रेस के माध्यम से सोरेश पूरी तरह हस्तक्षेप कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार सोरेश के कहने से भारतीय उद्योगपतियों को निशाना बनाते हैं। यह बात तो लंबे समय से सुनी जा रही है लेकिन सोनिया गांधी का भी इसमें कोई प्रत्यक्ष योगदान है, यह बात पहली बार सामने आई है। यह बात भी लंबे समय से सुनी गई कि चीन हमेशा कांग्रेस पार्टी की समय-समय पर मदद करता रहा है। पिछले कई वर्षों से राहुल गांधी भारत सरकार पर यह दबाव बनाते रहे हैं कि चीन और भारत के बीच किसी तरह भी टकराव हो जाए लेकिन नरेंद्र मोदी ने बहुत सूझबूझ से चीन के साथ प्रत्यक्ष टकराव को टाल दिया। हो सकता है कि इस योजना में भी सोरेश का हाथ है। सोरेश यह चाहते हो कि चीन और भारत के बीच में युद्ध शुरू हो जाए। अभी तो इस घटना की और अधिक परतें खुलनी बाकी है लेकिन यदि इस प्रकार की घटनाओं के आधार पर राहुल गांधी से ममता या अन्य विपक्षी नेता किनारा कर रहे हो तो यह कोई नई बात नहीं होगी। अदानी के नाम पर दिन-रात सफाई मांगने वाले राहुल गांधी सोरेश के संबंधों पर ना तो अपनी सफाई दे रहे हैं, न सोनिया की तरफ से सफाई दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि राहुल गांधी सोरेश और हिडन वर्ग से अपने संबंधों के बारे में देश को अवगत कराएं। भारतीय राजनीति में किसी विदेशी पूंजीपति का सीधा हस्तक्षेप हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी घातक है।

25. समाज को गलत बताकर राजनीति करने का पांचवां नाटक :

10 दिसंबर प्रातः कालीन सत्र। राजनीति द्वारा समाज को कमजोर करने के लिए 10 प्रकार के नाटकों पर हम चर्चा कर रहे हैं। इन नाटकों में से हम चार पर पहले चर्चा कर चुके हैं। आज हम पांचवें नाटक पर विचार करेंगे। दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देश में इस बात की पूरी-पूरी कोशिश की जाती है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अक्षम और अयोग्य होने की भावना पैदा कर दी जाए और उन्हें राज्य पर निर्भर बना दिया जाए। हर मामले में यह समझा दिया जाए कि वे अयोग्य हैं, अपढ़ हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, घर नहीं चला सकते हैं, यह गांव की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, सब कुछ राज्य ही कर सकता है। इस आधार पर समाज के लोगों में एक अयोग्यता का भाव पैदा हो जाता है और वह शासन के मुखापेक्षी बन जाते हैं सिर्फ राजनेता ही ऐसा नहीं करते हमारे सभी धर्मगुरु भी हम समाज के लोगों को ही कमजोर और गलत बताते हैं। सच्चाई है कि वर्तमान समय में गलतियां सारी राज्य करता है और हमारे धर्मगुरु भी हमें गलत बताते हैं। राजनेता भी हमें ही गलत बताते हैं। हर राजनेता हमारे सामाजिक बुराइयों को बढ़ा-चढ़ा कर हमारे बीच में रखता है। हमारे धर्मगुरु तो ऐसा करते ही है, इन दोनों के संयुक्त प्रयास से हम लोगों का मनोबल टूट जाता है। हम यह समझ जाते हैं कि हम किसी योग्य नहीं हैं। गंभीर प्रश्न यह खड़ा होता है कि राजनेता कोई अलग से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। हम लोगों के बीच से ही जो व्यक्ति चुना जाता है, वह रातों-रात इतना योग्य बन जाता है कि वह हमारे घर की भी व्यवस्था देख सकता है, सारी सरकार भी चला सकता है, सारी दुनिया का भी मार्गदर्शन कर सकता है जबकि कल तक वह हमारी तरह अक्षम, अयोग्य था। यह बदलाव पूरी तरह गलत है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि समाज को गलत कहने की बुरी आदत छोड़िए। हमें यह प्रचारित करना पड़ेगा कि हम गलत नहीं है, सरकार गलत है। हम मालिक हैं हमारे अंदर अगर कुछ गलतियां होंगी तो हम मिल बैठकर उन गलतियों को सुधार लेंगे लेकिन हमारा मैनेजर हमें गलत नहीं कह सकता। जब तक हमारा आत्मविश्वास इतना मजबूत नहीं होगा, तब तक यह राजनेता हमें इसी प्रकार अपमानित करते रहेंगे।

26. एलोपैथी, आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथी सब में स्वतंत्रतापूर्वक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। :

पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता नवजोत सिद्धू को मैं हमेशा बहुत ही बुरे नेताओं में मानता रहा हूँ। उनके किसी कथन में कभी कोई गंभीरता नहीं रही, सत्य तो कभी बोलते ही नहीं है। हमेशा अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। दल-बदल का उनका बहुत पुराना इतिहास रहा है। कभी किसी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल के विश्वसनीय नहीं रहे। इन सब दुर्गुणों के होते हुए भी नवजोत सिद्धू ने अभी अपनी पत्नी के कैंसर के इलाज के बारे में यह बताया कि उन्होंने आयुर्वेदिक इलाज करके पत्नी की बीमारी ठीक कर ली है। हो सकता है इस बात में कुछ सच्चाई भी हो लेकिन सिद्धू के द्वारा कही जाने के कारण इस कथन को लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया। मुझे आश्चर्य हुआ कि भारत के एलोपैथिक डॉक्टरों की संस्था ने नवजोत सिद्धू पर करोड़ों रुपए का दावा ठोक दिया। मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति यह बात कह कर अपराधी हो जाता है कि उसने अपनी पत्नी का इलाज आयुर्वेदिक होम्योपैथिक या एलोपैथिक से किया है और उससे उसकी बीमारी ठीक हुई। मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसमें अपराध क्या हो गया। इसमें एलोपैथी का क्या अपमान हो गया कि करोड़ों रुपए का उन पर मुकदमा दायर किया गया, उन्हें नोटिस दे दी गई। यह अलग बात है कि न्यायालय ने सिद्धू को मुक्त कर दिया लेकिन एलोपैथिक डॉक्टरों की दादागिरी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। मुझे यह भी पता है कि देश के अनेक एलोपैथिक डॉक्टरों ने बाबा रामदेव को भी इसी तरह बहुत परेशान किया था और इन डॉक्टरों का मनोबल बढ़ गया है। तभी तो यह लोग आयुर्वेद की प्रशंसा में कही गई किसी बात के लिए इस प्रकार मुकदमे ठोक रहे हैं। मेरा यह सुझाव है इस तरह की दादागिरी का खुलकर समाज में विरोध होना चाहिए, भले ही एक झूठ बोलने वाला स्वार्थी नेता सिद्धू के साथ ही ऐसा क्यों ना किया गया हो। एलोपैथी, आयुर्वेद या होम्योपैथी सबको स्वतंत्रता पूर्वक प्रतिस्पर्धा करने की छूट होनी चाहिए। एलोपैथी की दादागिरी का चलन उचित नहीं है।

27. मणिपुर की आग संभल में लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। :

भारत के विपक्षी दलों ने जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद शामिल थे, इन सब ने काले कपड़े पहन कर संसद के बाहर नारे लगाए। मणिपुर की राह पर संभल को ले जाना बंद करो। विचारणीय प्रश्न यह है कि मणिपुर की लाइन पर संभल को कौन ले जा रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार मणिपुर की तरह संभल को ले जाने वाले वही लोग हैं जो काले कपड़े पहन कर प्रदर्शन कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि जिस तरह मणिपुर के दो संप्रदायों के बीच गृह युद्ध हो रहा है वैसा ही संभल में भी होना चाहिए, लेकिन यह समाजवादी और कांग्रेस के नेता भूल रहे हैं कि मणिपुर और संभल की भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति अलग-अलग है। संभल मणिपुर नहीं बन पाएगा, यह संभव है कि मणिपुर संभल बन जाए। सीधा अर्थ यह है कि मणिपुर अशांत हो सकता है, संभल अशांत नहीं हो सकता है क्योंकि मणिपुर किसी सीमा पर स्थित है और मणिपुर में विदेशी घुसपैठ होती है, संभल में योगी का शासन है और योगी किसी भी प्रकार की घुसपैठ होने ही नहीं देंगे। संभल में कोई घुसपैठ संभव नहीं है इसलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को यह उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि संभल मणिपुर बनेगा। संभल बिल्कुल शांत है, शांत रहेगा। राहुल गांधी ने 5 वर्ष पहले भी इसी तरह का नारा दिया था कि कश्मीर में भूकंप आ जाएगा, कश्मीर के मुसलमान एकजुट हो जाएंगे लेकिन राहुल गांधी इस बात को भूल गए कि कश्मीर सोरेश के इशारे पर नहीं, कश्मीर भारत सरकार के नियंत्रण में है। अब सोरेश के इशारे पर कश्मीर नहीं चलने वाला है। और आपने देखा होगा कि कश्मीर पूरी तरह शांत हो गया। इसलिए मैं राहुल और अखिलेश यादव से यह कहना चाहता हूँ कि आप भारत में सांप्रदायिकता की आग मत लगाइए। अच्छा होगा कि अगर मणिपुर की भी आग बुझाने में मदद कर सके तो यह कार्य एक शुभ कार्य माना जाएगा लेकिन मणिपुर की आग संभल में लगाने की आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए।

---

28. राजनीतिवाज समस्याएं सुलझाते नहीं, उलझाते हैं :

11 दिसंबर प्रातः कालीन सत्र राजनीति के 10 नाटकों पर चर्चा। हम कल तक पांच प्रकार के राजनीतिक नाटकों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम एक अन्य महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि राजनेता हर समस्या को सुलझाने का नाटक करता है लेकिन सुलझाता नहीं है, उलझा देता है। समस्याएं तीन प्रकार से सुलझती है- आर्थिक समस्याएं आर्थिक तरीके से सुलझ सकती है, प्रशासनिक समस्याएं प्रशासनिक तरीके से सुलझ सकती हैं, सामाजिक समस्याओं के सुलझने का तरीका सामाजिक होता है लेकिन हमारे देश के सभी राजनेता समस्याओं का समाधान उल्टे तरीके से करते हैं। वह आर्थिक समस्याओं का समाधान प्रशासनिक तरीके से करना चाहते हैं। पूरा देश जानता है कि गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, श्रम-शोषण, आर्थिक असमानता जैसी अनेक आर्थिक समस्याएं सिर्फ एक आर्थिक समाधान अर्थात कृत्रिम उर्जा पर टैक्स लगाकर सभी प्रकार के टैक्स माफ कर देने से सुलझ सकती है लेकिन हमारे देश के नेता टैक्स माफी नहीं करना चाहते वे तो प्रशासनिक तरीके से लोगों को जेल में बंद करके आर्थिक समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। इसी तरह प्रशासनिक समस्याओं का समाधान यह आर्थिक और सामाजिक तरीके से करना चाहते हैं, यह अपराधियों का हृदय परिवर्तन करते हैं, कठोर दंड नहीं देते। अरे भाई! हृदय परिवर्तन करना धर्म गुरुओं का काम है समाज का काम है, आपका काम है दंड देना। लेकिन जेलें एक तरह से अपराधियों का ट्रेनिंग सेंटर बन गई है क्योंकि वहां प्रवचन होते हैं, उपदेश होते हैं। सामाजिक समस्याओं का समाधान सामाजिक तरीके से हो सकता है जुआ खेलने वालों का, वेश्यावृत्ति करने वालों का, सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए लेकिन यह लोग ऐसे लोगों को जेल में बंद करते हैं। हमारे देश के राजनेता नक्सलवादियों का हृदय परिवर्तन करते हैं। आतंकवादियों के मानवाधिकार की बहुत चिंता करते हैं लेकिन गांजा रखने वालों को जेलों में बंद करते हैं। मेरी यह सलाह है कि राजनेता ईमानदारी से समस्याओं का समाधान करें। सामाजिक समस्याएं समाज के जिम्मे में छोड़ दें, आर्थिक समस्याएं अर्थव्यवस्था सुलझा लेगी। प्रशासनिक समस्याएं सरकार कठोर दंड के माध्यम से सुलझावे। अब नाटक करना बंद करें।

29. हमारी न्यायपालिका को किसी विचारधारा से मुक्त रहना चाहिए। :

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में यह बात कह कर एक विवाद पैदा कर दिया है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था और सरकार बहुसंख्यकों की भावनाओं का ख्याल रखने के लिए मजबूर होती है। अब भारत में तीन तलाक, हलाला अथवा चार शादियां जैसे रिवाज नहीं चल सकते क्योंकि बहुसंख्यक इस प्रकार की प्रथाओं को अच्छा नहीं समझते। इस विषय से कई बातें स्पष्ट होती हैं। मेरे विचारों से किसी वर्तमान न्यायाधीश को इस प्रकार की बात करने से बचना चाहिए, दूसरी बात यह भी है कि इस प्रकार की गलत बातें बोलने की प्रथा स्वतंत्रता के बाद ही शुरू हो गई थी। उस समय भारतीय न्यायपालिका में आंख बंद करके वामपंथी न्यायाधीश भरे जा रहे थे। यह कम्युनिस्ट विचारों के न्यायाधीश उस समय ऐसी-ऐसी बातें बोलते थे जो किसी न्यायाधीश को नहीं बोलना चाहिए था। वर्तमान समय में ऐसे न्यायाधीश अब कम होते जा रहे हैं और हिंदू विचारधारा के लोग या संघ समर्थक न्यायाधीश न्यायपालिका में बढ़ रहे हैं। यह स्वाभाविक है कि समाज में जिस विचारधारा का विस्तार होगा, उसका न्यायपालिका पर भी प्रभाव पड़ेगा। राहुल गांधी या सोनिया गांधी ने भी यह बात कई बार कही है कि न्यायपालिका सहित अधिकांश सरकारी सेवाओं में संघ के लोग बढ़ रहे हैं। मेरे विचार से इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यदि अब भारत में कम्युनिस्ट विचारधारा की जगह देशभक्ति की विचारधारा बढ़ रही है तो इससे राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कष्ट क्यों होना चाहिए। फिर भी मेरे विचार से न्यायपालिका को हिंदू-मुसलमान, साम्यवाद, पूंजीवाद इस प्रकार की विचारधारा से मुक्त रहना चाहिए। न्यायपालिका को संतुलित विचारधारा को अधिक महत्व देना चाहिए। फिर भी उक्त न्यायाधीश ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि भारत के अल्पसंख्यकों को समान नागरिक संहिता स्वीकार करनी चाहिए। मेरे विचार से उच्च न्यायाधीश की भाषा गलत हो सकती है, किंतु विचार तो पूरी तरह सही थे क्योंकि उन्होंने समान नागरिक संहिता की प्रशंसा की है। यदि वह बहुसंख्यक शब्द की जगह बहुमत शब्द का प्रयोग करते तो अधिक अच्छा होता। हमें भाषा की तुलना में विचारों पर अधिक महत्व देना चाहिए।

30. भारतीय राजनीति को नए तरीके से संचालित होने का अवसर दें। :

भारत के विपक्षी दलों ने राहुल गांधी के नेतृत्व में राज्यसभा के अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति धनकर जी के आचरण के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यह अविश्वास प्रस्ताव इस आरोप के बाद आया है कि सोनिया गांधी के एक विदेशी उद्योगपति के साथ आर्थिक संबंध है। अच्छा होता कि सोनिया जी इस संबंध में अपनी स्थिति साफ करती लेकिन सोनिया गांधी ने इस विषय पर कुछ बोलने की अपेक्षा अविश्वास प्रस्ताव का सहारा लेना उचित समझा। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का प्रस्ताव लाकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी बहुत बदनामी कराई है क्योंकि दुनिया जानती है कि भारतीय राजनीति के सभी पक्षों में नैतिक स्तर पर गिरावट आई है चाहे वह न्यायपालिका हो अथवा राज्यपाल हो, चुनाव आयोग हो या अन्य संवैधानिक इकाइयां हों। यहां तक कि विपक्षी दल और सत्तारूढ़ दल जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, इन सब में किसी प्रकार की शालीनता या नैतिकता नहीं देखी जा रही है। इस स्थिति में कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार के आरोप लगाए हैं, यह आरोप इसलिए महत्वहीन हो जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी की आरोप लगाने की विश्वसनीयता ही समाप्त हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने देश भर के सभी राज्यपालों पर आरोप लगाए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर आरोप लगाए, चुनाव आयोग पर आरोप लगाए और राज्यसभा लोकसभा के अध्यक्षों पर आरोप लगाए। कांग्रेस पार्टी ने किस संवैधानिक संस्था को आरोप लगाने के बारे में पीछे छोड़ा क्योंकि कांग्रेस पार्टी जानती है कि सबसे पहले आरोप यदि लगा दिया जाएगा तो यह संवैधानिक संस्थाएं अपनी इज्जत बचाने के लिए सक्रियता छोड़ देंगी लेकिन जब कांग्रेस पार्टी दिन-रात आरोप ही लगाने लग गई तो सभी संवैधानिक संस्थाएं अब धीरे-धीरे मजबूर हो गयीं कि वह अपने रास्ते पर चलें। सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण सरीखे अनेक लोगों की एक टीम बना रखी है, अन्य संस्थाओं पर आरोप लगाने के लिए इन लोगों की टीम अलग-अलग बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने करीब सवा सौ लोगों की एक ऐसी टीम भी तैयार रखी है जो हमेशा हर संस्था पर एक चिट्ठी लिखकर आरोप लगाते रहते हैं। इस लिस्ट में भी अधिकांश कम्युनिस्ट हैं पुराने न्यायाधीश हैं, सरकारी अफसर हैं। इस प्रकार के लोग हैं जो जीवन भर कम्युनिस्ट रहे, कांग्रेस के प्रति वफादार रहे, जिन्हें अनेक प्रकार के मेडल मिले और यह लोग दिन- रात यही धंधा करते रहते हैं कि हर आदमी पर कीचड़ उछालो। अब राजमाता पर गंभीर आरोप लगे तो कांग्रेस पार्टी को जमीन दिख रही है। अब कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि भारत की जनता और अन्य विपक्षी दल भी कांग्रेस पार्टी के दिन-रात आरोप लगाने की प्रवृत्ति से थक गए हैं। मैं चाहता हूँ कि राजमाता अब अपने परिवार के साथ कुछ वर्षों के लिए इटली चली जाएं और भारतीय राजनीति को नए तरीके से संचालित होने का अवसर दें। यदि लोग आपकी अनुपस्थिति में नहीं संभाल सकेंगे तो कुछ वर्ष के बाद आपको फिर वापस बुला लेंगे।

31. राजनीतिक दलों की एक तरफा बातें :

12 दिसंबर प्रातः कालीन सत्र राजनीति के 10 नाटक। आज हम सातवें नाटक पर चर्चा करेंगे। सच बात यह है कि समाज में समस्याएं बहुत कम है लेकिन भारत की राजनीतिक व्यवस्था समस्याओं का समाधान करने का नाटक करते रहती है। उस समस्या का समाधान इस तरीके से किया जाता है कि समाधान से ही एक नई समस्या पैदा हो जाती है। उस नई समस्या के समाधान से फिर एक नई समस्या पैदा हो जाती है और इस तरह नई-नई समस्याएं पैदा होती रहती हैं और हमारी राजनीतिक व्यवस्था नई-नई समस्याओं का इस प्रकार समाधान करता रहता है कि उससे नई समस्याएं पैदा होते रहे। हमारे भारत की राजनीतिक व्यवस्था आदिवासियों का उत्थान करने की बात करती है लेकिन आदिवासियों का उत्थान इस प्रकार से किया जाए कि उनकी मूल संस्कृति पर कोई प्रभाव न पड़े। यह बात बिल्कुल असंभव है कि आदिवासी जिस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, उसी प्रकार का जीवन भी जीते रहे और उनका विकास भी होता रहे, विकास अगर होगा तो उनकी जीवनचर्या बदलेगी ही। भारत के सभी राजनीतिक दल लगातार कहते हैं कि वनों का विस्तार किया जाए, सड़के चौड़ी की जाये, रेलवे लाइन खोली जाए लेकिन खेती की जमीन भी कम नहीं होनी चाहिए। यह बिल्कुल असंभव है। यदि आप कुएं खोदेंगे, बांध बनाएंगे, जंगल लगाएंगे, तो आपकी खेती की जमीन कम होगी ही। इन सब का संतुलन न करके राजनीतिक दल एकतरफा बात करते हैं। इस तरह समाज में नई-नई समस्याएं हमेशा पैदा होते रहती है और राजनीतिक दलों की अपनी दुकानदारी चलती रहती है।

32. महिला-उत्पीड़न और दहेज कानून का दुरुपयोग :

जौनपुर उत्तर प्रदेश के अतुल सुभाष नामक इंजीनियर की आत्महत्या ने सारे देश को झकझोर कर जागृत कर दिया है। अतुल सुभाष का पत्नी से कुछ विवाद था। पत्नी और उसके परिवार वालों ने महिला उत्पीड़न कानून और दहेज कानून का लाभ उठाकर अतुल को इतना अधिक परेशान किया कि उसने आत्महत्या कर ली। प्रश्न सिर्फ कानून के दुरुपयोग तक सीमित नहीं है। प्रश्न केवल जौनपुर के अतुल तक सीमित नहीं है। देश भर में इस प्रकार के दहेज तथा महिला उत्पीड़न के नाम पर जो ब्लैकमेलिंग हो रही है, हजारों लोग इस प्रकार परेशान हैं भले ही वह आत्महत्या न करें, कितने घर बर्बाद हो चुके हैं, कितनी महिलाएं इस प्रकार के झूठे मुकदमों में फंसा दी गई है, इस संबंध में मैंने लंबा रिसर्च किया है। यह कानून सिर्फ कड़ा नहीं है बल्कि दहेज का पूरा कानून ही गलत है। नेहरू कम्युनिस्ट थे और कम्युनिस्ट हमेशा इस प्रकार के पारिवारिक-सामाजिक अनावश्यक कानून बनवाने में सक्रिय रहे हैं। जब नेहरू सरकार ने 60 वर्ष पहले यह कानून बनाया था, उस समय भी मैंने यह लिखा था कि यह पूरा कानून अनावश्यक भी है और इसका दुरुपयोग भी अवश्य होगा। मैं तब से लेकर आज तक लिखता रहा कि यह कानून न सिर्फ कड़ा है, बल्कि पूरा कानून ही अनावश्यक है। दहेज कोई बुराई नहीं है लेकिन कम्युनिस्ट नेहरू ने इसे अनावश्यक बुराई के रूप में सिद्ध कर दिया और नेहरू का मूर्ख नाती आज भी दहेज-दहेज चिल्लाता रहता है। इस प्रकार के गंदे कानून का लाभ उठाकर ही बड़ी मात्रा में लोग परेशान किए गए और जिस पर आज इतने लंबे समय बाद विचार हो रहा है। यदि गहराई से विचार करें तो यह अकेला ऐसा कानून नहीं है महिलाओं के संबंध में बनाए गए सारे कानून दोषपूर्ण हैं। निर्भया के मामले में भी मैंने बहुत बार लिखा। यह कानून बहुत घातक है, इसके कारण भी बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं, निर्भया के कानून के चलते ही बहुत-सी महिलाओं की बलात्कार के साथ हत्याएं हो रही है। फिर से किसी अतुल की आत्महत्या सामने आएगी, तब इस प्रकार के कानून पर फिर से जन जागृति होगी। सच बात यह है कि हमारे देश की न्यायपालिका भी इसी कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित होकर महिला सशक्तिकरण के विषय में चिल्लाती है। न्यायालय तो विवाहित महिला के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए कानून के अनुसार सहमति को आवश्यक बनाने पर सोच रहा है। पता नहीं हमारे देश की न्यायपालिका भी किधर जा रही है। जबकि वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण नहीं, परिवार सशक्तिकरण की आवश्यकता है। समाज सशक्तिकरण की आवश्यकता है। यदि अतुल सुभाष की आत्महत्या ने कुछ कानून में फेरबदल की शुरुआत की तो मेरी समझ में यह एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी।

33. व्यक्ति नहीं, व्यक्ति की गलत नीति और नीयत का विरोधी हूँ :

यह बात सच है कि मेरे मन में नेहरू परिवार के विरुद्ध एक बड़ा पूर्वाग्रह है। मैं नेहरू परिवार को स्वतंत्रता से लेकर अब तक सामाजिक शत्रु मानता हूँ। इसके कई कारण है। पहला यह कि मैं साम्यवादी विचारधारा और इस्लामिक कट्टरवाद का घोर विरोधी हूँ जबकि पंडित नेहरू से लेकर आज तक यह परिवार इन दोनों की पूरी सुरक्षा करता है। दूसरी बात की गांधीवादी नरम हिंदुत्व का प्रबल समर्थक हूँ जबकि सावरकर कट्टरवादी हिंदुत्व के पक्षधर और नेहरू हिंदुत्व विरोधी है। नेहरू से लेकर राहुल तक सबने गांधीवादी विचारों का हमेशा विरोध किया और गांधी के नाम की दुकानदारी की। तीसरी बात यह है कि नेहरू परिवार में ऊपर से नीचे तक तानाशाही भी है और परिवारवाद भी। मैं तानाशाही और परिवारवाद का कट्टर विरोधी हूँ। यही कारण है कि मैंने बचपन से ही नेहरू का विरोध किया और यह आज तक जारी है। चौथी बात यह है कि नेहरू की बेटी इंदिरा ने 18 माह तक जेल में बंद करके रखा ही, न्यायालय तक जाने पर रोक लगा दी। राहुल इतना नाटकबाज है कि उसने एक तरफ तो इंदिरा के आपातकाल को गलत बताया, दूसरी और प्रदेशों में कांग्रेस सरकार बनते ही हम लोगों को मिलने वाली मीसाबंदी सहायता पर भी रोक लगवा दी। अब राहुल की दादागिरी खत्म होने के बाद यह सहायता फिर शुरू हुई है। अपने जिले का मैं अकेला मीसाबंदी हूँ। पांचवी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी में मैं नरसिंह राव का समर्थक था। मुझे मध्य प्रदेश सरकार ने नक्सलवादी घोषित करके मार्च 1996 में गोली मारने का आदेश दिया था जिसमें देश के प्रमुख गांधीवादियों ने मेरी जान बचाई थी। बाद में मैं उच्च न्यायालय से भी निर्दोष घोषित हुआ। छठी बात कि मनमोहन सिंह के कार्यालय में मैं मनमोहन सिंह का खुला पक्षधर था। जब सोनिया गांधी ने पुत्र मोह में पड़कर मनमोहन सिंह को कमजोर करना शुरू किया, तब मैंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि वह गलत कर रही हैं। उनके पुत्र मोह से कांग्रेस का बहुत नुकसान होगा, पर वे नहीं मानी। मैं संतुष्ट हूँ कि नेहरू परिवार का आजीवन विरोध मेरे काम आया और देश मोदी, भागवत, आदित्यनाथ के नेतृत्व में गांधी मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। यही कारण है कि मैंने कल सोनिया जी को इटली जाने की उचित सलाह दी है।

---

34. सीधी साधी बिल्ली की रोटी पर चालाक बंदर का अधिकार:

13 दिसंबर, प्रातःकालीन सत्र में सामाजिक विषय पर चर्चा। समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने को बंदर की भूमिका में समझते हैं और बाकी सब लोगों से बिल्लियों के समान व्यवहार करते हैं। बंदर बहुत ही चालाक प्राणी माना जाता है। इन परिस्थितियों में बंदर बिल्लियों के साथ तीन तरह से व्यवहार करता है। पहला कि बंदर बिल्लियों की अलग-अलग रोटी को कभी बराबर नहीं होने देता क्योंकि रोटियां अगर बराबर हो जाएगी तो बंदर भूखा मर जाएगा, दूसरा कि बंदर हमेशा रोटीयों को बराबर करता हुआ दिखता है क्योंकि वह तो बड़ी रोटी वाली बिल्ली की रोटी को काट कर खाता है, इस तरह बंदर बराबर करता हुआ दिखता जरूर है लेकिन करता नहीं है। तीसरी बात यह है कि बंदर हमेशा छोटी रोटी वाली बिल्ली के मन में असंतोष की ज्वाला जगा कर रखता है कि तुम्हारी रोटी छोटी है और बगल वाले की बड़ी है उसने तुम्हारे साथ अत्याचार करके ही अपनी रोटी बड़ी बनाई है। इस तरह तीन भूमिकाओं में रहकर बंदर हमेशा अपना पेट भरता रहता है, ठीक यही स्थिति भारत के सभी राजनेताओं की है और विशेष कर कम्युनिस्ट तो इसी बंदर और बिल्लियों वाली भूमिका के आधार पर अपना जीवन जीते हैं। कोई कम्युनिस्ट किसी तरह का व्यापार नहीं करता, राजनेता भी अधिकांशतः इसी तरह अपना पेट भरते रहते हैं। हम यह कह सकते हैं कि गरीबों में असंतोष फैलाना और कभी गरीबी दूर नहीं करना, हमेशा गरीबी दूर करने के लिए सक्रिय रहना, यह सभी राजनेताओं का एकमात्र उद्देश्य होता है। इसीलिए राजनीतिज्ञ की हमेशा बंदर से तुलना की जाती है और राजनेता हम सब लोगों को बिल्लियां समझकर हमारे साथ व्यवहार करता रहता है। अब यह बात समझने का समय आ गया है कि यह बिल्ली और बंदर की भूमिका उचित नहीं है। इस पर गंभीरता से सोचा जाना चाहिए।

35. राजनीति से राहुल गांधी की विदाई :

यह बात बिल्कुल साफ हो गई है कि राजनीति से राहुल गांधी की विदाई बहुत नजदीक है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी का स्थान कौन लेगा। प्रियंका गांधी भी ले सकती है खड़गे भी ले सकते हैं, ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल दोनों भी इस लाइन में लगे हुए हैं, अखिलेश यादव भी पीछे-पीछे प्रयत्नशील है। इन सब में से राहुल गांधी का स्थान कौन ले सकता है यह एक गंभीर और सोचने का विषय है। ममता बनर्जी बहुत अधिक हिंसक और चालाक है प्रियंका गांधी तो अभी शुरू कर रही है और जिस तरह नेहरू परिवार पूरे देश में बदनाम है तो प्रियंका की संभावना न के बराबर है अरविंद केजरीवाल हिंसक तो नहीं है लेकिन चालाक जरूर है। अब अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी में कौन आगे बढ़ता है यह भविष्य बताएगा। अखिलेश यादव इस मामले में सबसे अच्छे दिखते हैं लेकिन अभी सबसे पीछे दिख रहे हैं। नीतीश कुमार वृद्ध हो गए हैं और धीरे-धीरे रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं इसलिए अब उनकी कोई संभावना नहीं है। उद्धव ठाकरे इस कार्य के लिए अनुपयुक्त है क्योंकि उद्धय ठाकरे राहुल गांधी की तुलना में अधिक शरीफ माने जाते हैं। दूसरी बात यह भी है कि उद्धव ठाकरे पूरी तरह संजय के कारण बदनाम हो रहे हैं। शरद पवार भी रिटायर हो रहे हैं इसलिए हम उद्धव शरद पवार का नाम इस दौड़ में शामिल नहीं कर रहे। अगले कुछ महीनो में तस्वीर साफ हो जाएगी कि राहुल का स्थान ममता ले पाती हैं अथवा अरविंद केजरीवाल।

---

36. लोकतांत्रिक तरीके से आर्थिक असमानता बढ़ाना नेताओं का नाटक :

14 दिसंबर, प्रातःकालीन सत्र में राजनीति के 10 नाटकों पर चर्चा। आज हम नौवें नाटक पर चर्चा करेंगे। दुनिया का हर राजनेता आर्थिक असमानता को बढ़ाने और फिर बाद में उसका समाधान करने का नाटक करता है। लोकतांत्रिक देश में आर्थिक असमानता लोकतांत्रिक तरीके से बढ़ाई जाती है। इसका एक जाना माना तरीका होता है कि टैक्स सिस्टम को इस प्रकार स्थापित किया जाए, कि आर्थिक असमानता समाज में बढ़ती भी रहे और राजनेताओं को माला पहनने में कोई कठिनाई भी ना हो। इसके लिए राजनेता यह तरीका अपनाते हैं कि वह गरीब लोगों पर अप्रत्यक्ष कर लगाते हैं उन्हें प्रत्यक्ष सुविधा देते हैं और अमीर लोगों पर प्रत्यक्ष कर लगाते हैं अप्रत्यक्ष सुविधा देते हैं। सिर्फ एक अकेला यही सूत्र होता है जो आर्थिक असमानता को लोकतांत्रिक तरीके से बढ़ा सकता है। भारत का हर राजनीतिक दल निरंतर इसी दिशा में प्रयत्नशील रहता है। भारत में भी गरीब लोग जो चीज प्रयोग करते हैं उन सभी वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है और उस कर से मिलने वाली राशि उन्हें प्रत्यक्ष सब्सिडी के रूप में बांट दी जाती है, दूसरी ओर पूंजीपतियों पर हमेशा प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है और उन्हें अप्रत्यक्ष सुविधा दी जाती हैं। आप देख रहे होंगे कि गरीबों को एक तरफ तो उन्हें सस्ता अनाज, सस्ते कपड़े, सस्ती बिजली और सस्ता आवागमन दिया जाता है, दूसरी ओर गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी, कृषि उत्पादन सब पर भारी टैक्स लगाए जाते हैं जिन चीजों का गरीब लोग अधिक उपयोग करते हैं। इसी तरह अमीर लोगों से सीधा इनकम टैक्स लिया जाता है और उन लोगों को उद्योग धंधों में कितनी अप्रत्यक्ष छूट दी जाती है, यह कोई नहीं जान पाता। यही कारण है कि भारत में आर्थिक असमानता लगातार बढ़ती जा रही है और राजनेताओं की प्रशंसा में भी कोई कमी नहीं आ रही है। क्योंकि गरीब यह जानता ही नहीं कि वह भी कोई टैक्स दे रहा है और गरीब यह भी नहीं जानता कि अमीरों को कोई सुविधा दी जा रही है। हर राजनीतिक दल अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह वादा तो करता है कि हम आपको इस प्रकार की सुविधा देंगे लेकिन कोई भी राजनीतिक दल कभी यह वादा नहीं करता कि हम गरीब ग्रामीण, कृषि उत्पादन पर से टैक्स कम कर देंगे।

37. हमारे जिले में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में टैक्स का दुरुपयोग :

यह बात आप सब अधिकांश लोग जानते हैं कि मैं बहुत सोच-समझ कर ही कोई बात लिखता हूँ और मेरी अधिकांश लिखी हुई बातें सच होती है। यह भी आप जानते हैं कि मैं पुलिस विभाग के पक्ष में अधिक रहता हूँ और किसी भी प्रकार के आंदोलन के पक्ष में नहीं रहता। आज सुबह भी मैंने यह चर्चा की है कि किस प्रकार भारतीय राजनेता अनेक प्रकार के नाटक करते रहते हैं, मनमाना टैक्स लगाते हैं और अपनी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में टैक्स का दुरुपयोग करते हैं। आज मैं एक प्रत्यक्ष घटना आपको बता रहा हूँ जो हमारे जिले की है। हमारे जिले में एक सरकारी कर्मचारी के पिता ने अपनी बहू की हत्या कर दी, लाश को ले जाकर झारखंड में फेंकवा दिया गया। उस सरकारी कर्मचारी ने पुलिस विभाग की पूछताछ के समय आत्महत्या कर ली। वह सरकारी कर्मचारी और उसका परिवार बंगाली था और बंगाली वोटों के कारण कांग्रेस पार्टी के सारे लोग उसके साथ खड़े हो गए और भारतीय जनता पार्टी का वह समर्थक होने के कारण भारतीय जनता पार्टी भी उसके साथ खड़ी हुई। परिणाम यह हुआ कि 25 अक्टूबर से कई दिनों तक वहां हिंसक आंदोलन हुए। पुलिस वाले पीटे गए, बाजार बंद हुआ, सारा मीडिया भी पुलिस के खिलाफ रहा। सरकारी कर्मचारी भी खिलाफ हो गए और पुलिस बेचारी अकेली पड़ गई। मैं अकेला पुलिस के पक्ष में खड़ा था लेकिन सारे लोग मेरे खिलाफ लिख रहे थे। अब यह बात साफ हो गई है कि जिसने आत्महत्या की वह हत्या में शामिल था उसका परिवार हत्या में शामिल था, सरकार के करोड़ों रुपए उस आंदोलन में खर्च हो गए। यहां तक कि सरकारी पक्ष के लोगों ने उन लोगों के पक्ष में बयान भी जारी किए, उनको पैसा भी दिया गया और आज स्थिति यह है कि कोई पुलिस से माफी मांगने वाला नहीं है। सारे मीडिया कर्मी भी जबान में ताला बंद करके किनारे हो गए हैं। कहां गए वह लोग जो उस दिन सड़कों पर उछल रहे थे। आंदोलन कर रहे थे, सरकार का करोड़ों रुपया बर्बाद हो गया, राजनेताओं ने मजा लिया। मीडिया कर्मियों ने मजा लिया, पुलिस वाले गाली सुनते रहे और अब कोई सामने आने को तैयार नहीं है। मेरा यह निवेदन है कि जो लोग इस आंदोलन में अगुआ थे चाहे वह किसी भी दल के रहे हो, किसी भी विभाग के हो, जिन लोगों ने तोड़फोड़ की, जिन लोगों ने मारपीट की, उन लोगों से अब वसूली होनी चाहिए, उन लोगों पर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। आंदोलन पर तो हमें किसी न किसी तरह का प्रतिबंध लगाना ही होगा। नेता हमारा धन बर्बाद करते रहे और हम मनमाना टैक्स देते रहे और नेताओं के चमचे सड़कों पर गुंडागर्दी करते रहे, यह आदर्श लोकतंत्र नहीं है।

---

38. पारिवारिक गिरोह के रूप में सक्रिय नेहरू परिवार :

मैंनें कल आपको लिखा था कि राहुल का भविष्य पूरी तरह समाप्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में मैं उचित समझता हूँ कि अब राहुल की चर्चा आज के बाद रोक दूं। यदा-कदा विशेष बात हो तभी राहुल की चर्चा करूं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं कांग्रेस विरोधी और बीजेपी का समर्थक नहीं हूँ। मैंने अपने जीवन काल में लाल बहादुर शास्त्री, नरसिंग राव, मनमोहन सिंह का खुला समर्थन किया है। यह बात सही है कि मैं सामाजिक धरातल पर साम्यवाद का और संगठनात्मक रूप से इस्लाम का विरोधी हूँ, साथ ही मैं नेहरू परिवार का पूरी तरह विरोधी हूँ क्योंकि नेहरू परिवार ने ही परिवारवादी राजनीति को स्वतंत्रता से लेकर अब तक आगे बढ़ाया और मैं परिवारवादी राजनीतिक व्यवस्था का भी आजीवन विरोधी रहा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को वर्तमान दुर्गति तक पहुंचाने का सारा श्रेय सोनिया गांधी के पुत्र मोह तक छिपा हुआ है अन्यथा कांग्रेस की शायद ऐसी दुर्गति नहीं होती। मैं आज भी मानता हूँ कि परिवारवादी राजव्यवस्था घातक है, जिस व्यवस्था में सभी विपक्षी दल अंदर तक घुसे हुए हैं। एक भी विपक्षी दल ऐसा नहीं है जो पारिवारिक गिरोह के रूप में सक्रिय न हो। यह पारिवारिक गिरोह की भूमिका कहां से आई, इस विषय पर हम कल चर्चा करेंगे लेकिन आज यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि नेहरू परिवार का राजनीतिक भविष्य भारत में तत्काल समाप्त होना चाहिए। मैं राहुल गांधी की जगह प्रियंका को भी उस भूमिका में उचित नहीं देखता, भले ही प्रियंका आगे आ जाएं वह एक अलग बात है। मैं प्रियंका का भी समर्थन नहीं करूंगा। मेरी हार्दिक इच्छा है की नेहरू परिवार अब किसी भी अन्य विपक्षी नेता को आगे बढ़ाओ चाहे वह कांग्रेसी ही क्यों ना हो, लेकिन अपने परिवार से अब देश को मुक्त करें।

39. राजनीति के दसवें नाटक पर चर्चा :

15 दिसंबर, प्रातःकालीन सत्र में राजनीति के नाटकों पर चर्चा। आज हम राजनेताओं द्वारा किए जा रहे अंतिम और दसवें नाटक की चर्चा करेंगे। हम 9 दिनों से यह चर्चा कर रहे हैं कि राजनेता लोकतांत्रिक तरीके से समाज को धोखा देने के लिए किस प्रकार के 10 नाटक करता है। इन नाटकों में हम नौ नाटकों पर विभिन्न चर्चाएं कर चुके हैं। आज हम दसवें नाटक पर यह चर्चा कर रहे हैं कि हमारे राजनेता समस्याओं के समाधान करते समय अपनी प्राथमिकताएं पूरी तरह बदल लेते हैं। राज्य का सबसे पहला कार्य होता है वास्तविक समस्याओं को दूर करना। समस्याएं पांच प्रकार की होती हैं एक है वास्तविक दूसरी है कृत्रिम तीसरी है प्राकृतिक चौथी है भूमंडलीय और पांचवी है भ्रम। राजनेताओं को चाहिए कि वह वास्तविक समस्याओं को दूर करने का सबसे अधिक प्रयास करें लेकिन भारत का हर राजनेता सबसे अधिक भ्रम को दूर करने का प्रयास करता है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, दहेज, शोषण ये सब असत्य या भ्रमपूर्ण समस्याएं हैं, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन राजनेता सबसे अधिक इन्हीं समस्याओं के समाधान में जोर लगाता है जबकि वास्तविक समस्याएं हैं चोरी, डकैती, लूट, मिलावट, कमतौल, जालसाजी, धोखाधड़ी, हिंसा, बल प्रयोग, आतंक। कभी राजनेता इन समस्याओं पर ध्यान नहीं देता। मेरा यह सुझाव है कि राजनेता समस्याओं के समाधान की प्राथमिकताओं का क्रम बदल दें। वे वास्तविक समस्याओं पर सबसे अधिक ध्यान दें। उसके बाद ही अन्य समस्याओं को लें और अ सत्य समस्याएं महंगाई, महिला उत्पीड़न इन समस्याओं का तो पूरी तरह से छोड़ ही देना चाहिए।

---

40. संविधान को हमेशा धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए :

दो दिनों से हमारी लोकसभा संविधान पर चर्चा कर रही है। कल भी दिन भर यह चर्चा जारी रही। विपक्षी दलों ने संविधान की अपेक्षा कानून व्यवस्था पर अधिक चर्चा की। विपक्षी दलों ने खुलकर मनुस्मृति पर आरोप लगाए। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी लंबी-लंबी कहानी कह कर मनुस्मृति के खिलाफ अपनी बात स्पष्ट की। राहुल गांधी ने कहा कि किस तरह एक होनहार आदिवासी बालक का अंगूठा काट लिया गया था, दूसरी ओर सत्तारूढ़ दल ने कहा किस प्रकार पंजाब में सिखों के गले काटे गए थे, पूरे देश भर में भी सिखों का कत्लेआम हुआ था। पूरी चर्चा में हिंदू और मुसलमान की चर्चा सबसे अधिक समय तक चलती रही। देश सरिया से चलेगा अथवा मनुस्मृति से इस बात पर दोनों तरफ से बहस चलती रही। यह बात सिद्ध हो चुकी है कि संविधान बनाने में जितनी सरिया की मदद ली गई, जितनी पश्चिम की मदद ली गई उसके अनुपात में मनुस्मृति को बिल्कुल किनारे किया गया। मनुस्मृति की अच्छी बातें भी संविधान से दूर रखी गई है। आज भी मनुस्मृति की बार-बार चर्चा कर रहे लोगों की यह नियत साफ दिखती है कि वह कहीं ना कहीं सरिया के आधार पर संविधान बनाना चाहते हैं। वह फिर से कश्मीर में 370 और मुसलमान को तीन तलाक, हलाला अथवा आरक्षण देकर पुरस्कृत करना चाहते हैं। विपक्ष या मान चुका है कि हमें मनुस्मृति नहीं सरिया चाहिए। अब देश के लोगों को इस बात पर विचार करना है कि वह मनुस्मृति और सरिया में से क्या पसंद करते हैं। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष संविधान तैयार करें जिसमें सभी प्रकार की अच्छी बातें शामिल हो सके। क्या यह अच्छी बात नहीं होगी कि हम भारत के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दें। यह बहुत आश्चर्यजनक है कि आज भारत का बहुसंख्यक समान अधिकारों के लिए गिड़गिड़ा रहा है और विपक्ष की ताकत पर अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों को बराबरी के अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। मैं अभी तक नहीं समझ सका कि मेरे इस प्रश्न का विपक्षी दलों के पास क्या उत्तर है।

41. दल-बदल विधेयक के कारण बढ़ते परिवारवाद को समाप्त करने की पहल :

सायंकालीन सत्र में हम परिवारवाद पर चर्चा कर रहे हैं। परिवारवाद एक बहुत ही खतरनाक बुराई है। यदि परिवारवाद अपने परिवार तक सीमित रहता है, तब तो यह बहुत छोटी बुराई है परिवार को एकजुट होना ही चाहिए लेकिन यदि यह परिवारवाद किसी राजनीतिक, सामाजिक या अन्य ऐसी व्यवस्था में बढ़ता है जहां व्यवस्था करने वालों को शक्ति प्राप्त है तब यह परिवारवाद बहुत घातक हो जाता है। इसी तरह का परिवारवाद प्राचीन समय में बढ़ते-बढ़ते इस सीमा तक आ गया था कि वह जातिवाद तक चला गया था अर्थात राजा का बेटा राजा बनने लगा था और ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनने लगा था। परिवारवाद की यह बड़ी बुराई रही है जिस बुराई से हजारों वर्षों के बाद हम लोग का पिंड छूटा है। लेकिन फिर से वही परिवारवाद राजनीति में शुरू हो गया। यह परिवारवाद वैसे तो नेहरू से शुरू हुआ जो आंशिक रूप से धीरे-धीरे आगे आया लेकिन प्रारंभिक 40 वर्षों तक परिवारवाद ढका-छुपा था। नेहरू ने भी खुलकर अपने परिवार के पक्ष में ना कोई विशेष प्रयत्न किए थे और ना ही उन्हें कोई संवैधानिक मान्यता दी थी। लेकिन 1986 में राजीव गांधी ने दल-बदल विधेयक लाकर परिवारवाद को बहुत ही मजबूत कर दिया। दल-बदल विधेयक एकमात्र ऐसा कानून है जिस कानून के माध्यम से उसके बाद लगातार परिवारवाद बढ़ता चला गया और यह परिवारवाद आज गिरोह के रूप में स्थापित हो गया है। क्योंकि दल-बदल विधेयक के पहले राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता नहीं थी। दल-बदल विधेयक ने राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता दे दी और उस मान्यता के बाद राजनीतिक दलों के नेतृत्व पर अपने परिवार को सीमित करने की होड़ लग गई। अब आज यदि आप परिवारवाद पर चोट करना चाहते हैं दल-बदल विधेयक को समाप्त कीजिए। दलगत राजनीति की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूँ कि कोई भी राजनीतिक दल इस दल बदल विधेयक को अभी समाप्त करने के लिए तैयार नहीं होगा लेकिन अब राजनीति से दलीय व्यवस्था बाहर करने के लिए दल बदल विधेयक को समाप्त करने की पहल करनी चाहिए।

जूम चर्चा कार्यक्रम, दिसंबर 2024 :

कल 19 दिसंबर के सायंकालीन चर्चा कार्यक्रम में हमने दया विषय पर विचार मंथन किया। यदि देखा जाए तो दया करना हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है जो सक्षम हैं, योग्य हैं और सामाजिक भावना रखते हैं। यदि सामाजिक भावना व्यक्ति में है तो उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वह स्वयं स्थिति परिस्थिति को देखते हुए मदद के लिए, दया दिखाने के लिए या सहायता के लिए अपने सहृदयता को प्रकट कर ही देता है। वहीं कोई मंदबुद्धि व्यक्ति अथवा स्वार्थी व्यक्ति होंगे तो उनमें दया भाव अन्य के प्रति जागृत नहीं होगा। दया करना हमारी भावनाओं से जुड़ा मामला है। दया हृदय से जुड़ा मामला है। मनुष्य एक प्राकृतिक और सामाजिक प्राणी है। इनके अंदर हर प्रकार की भावनाएं मौजूद होती हैं। यदि अंतर कुछ होता है तो भावनाओं के विस्तार का अंतर है। किसी का हृदय स्वयं तक सीमित है, किसी का परिवार तक और किसी का विश्व परिवार तक। जिसका दिल जितना विशाल होगा, उसके अंदर दया की भावना उतनी ही अधिक होगी। वहीं किसी भी व्यक्ति को किसी भी मामले में दया करने का व्यक्तिगत रूप से पूरा अधिकार है क्योंकि दया का भाव जागृत होना किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला होता है लेकिन आजादी के बाद राजनेताओं ने व्यक्ति की इस कमजोरी का लाभ उठाया। राजनेताओं ने अपना पक्ष मजबूत करने के लिए तथा अपनी लोकप्रियता बरकरार रखने के लिए दया के रूप में एक नये शस्त्र का आविष्कार कर लिया। दया, क्षमा का अधिकार अब संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा अपराधियों और समाज विरोधियों के पक्ष में कर लिया जाता है। बड़े-बड़े क्रूर अपराधी राष्ट्रपति और न्यायपालिका की क्षमा याचना, दया याचना से लाभान्वित होते जाते हैं। विशेष परिस्थिति में विशेष कार्य के लिए जो अधिकार हासिल है यदि उसका दुरुपयोग होने लगेगा तो संकट उपस्थित होना निश्चित है। देश सेवा में सैनिक भी लगे हैं, न्यायपालिका में जज अपराधियों को दंड देने के लिए नियुक्त हैं। यह सभी सरकारी और संवैधानिक संस्थान हैं। उनके अपने कर्तव्य हैं। सैनिक देश के सीमा की सुरक्षा करता है और

न्यायालय समाज को अपराधियों से बचाता है, अपराधियों को दंड देता है। लेकिन यदि यह अपने कर्तव्य से हट गए और दया भावना दिखाते रहे तो ना देश की सीमा सुरक्षित होगी और ना ही अपराधियों में कोई डर या भय पैदा होगा। इसलिए चाहे जज हो या राष्ट्रपति या देश का कोई भी व्यक्ति यदि वह अपने व्यक्तिगत स्तर पर किसी के प्रति दया भाव रखता है, किसी मान्यता के प्रभावित होकर सामाजिक सेवा करता है तो वह उसकी अपनी व्यक्तिगत सोच और निर्णय है लेकिन वहीं यदि कोई अधिकारी संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग किसी भी रूप में किसी के साथ करते है, तो वह गलत है।

सब प्रकार के जीवों के बीच संतुलन होना ही चाहिए। लेकिन जीव दया का सिद्धांत असंतुलन पैदा करता है। प्रकृति का यह नियम है कि वह संतुलन स्थापित कर लेता है लेकिन मानवीय गलतियों की वजह से यदि प्रकृति में असंतुलन पैदा हो रहा है तो उसे संतुलन को दूर करने के लिए हम समाज के लोगों को ही आगे आना होगा। मानव समाज कहीं किसी चिड़िया, पक्षी, जंगली जानवर, बंदर, कुत्ते, नीलगाय आदि के प्रति व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से बड़े भावनात्मक होते हैं। कुछ शास्त्रों से प्रभावित तो कुछ संस्कारों से प्रभावित पूर्व उल्लिखित कथन का अनुकरण करते हैं। जब तक समाज उस मान्यताओं को नहीं मान लेता है तब तक वह निर्णय उसका व्यक्तिगत या समूह का माना जा सकता है जो समाज के अन्य लोगों पर थोपा नहीं जा सकता है। कुछ लोग गाय को माता कहते हैं, माता तुल्य मानते हैं तो कुछ गाय को सिर्फ एक दुधारू जीव मानते हैं, गाय को पशु मानते हैं। दोनों प्रकार की मान्यताओं को समाज में स्थापित करना होगा किसी एक की मान्यता किसी अन्य पर थोपी नहीं जा सकती है। हां, उसकी भावनाओं को या प्रकृति की उस सृष्टि रचना को नुकसान नहीं पहुंचा जा सकता है। कुछ गंगा को माता कहते हैं तो कुछ सिर्फ नदी मानते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि नदी मानने वाले दूसरी की भावनाओं को आहत करते हुए उसमें गंदगी फैलाएं। गंदगी फैलाना अपराध है। किसी की भावनाओं को आहत करना भी अपराध है, समाज विरोधी कार्य है। एक गीत है ष्मानो तो मैं गंगा मां हूं ना मानो तो बहता पानीष् जो हिंसक जीव हैं वह यदि जीव दया करने लगेगा तो भूखे मर जाएगा। कुछ हिंसक जीवों को बध्य कुछ मानते हैं लेकिन वह भी प्रकृति में एक उपहार है। सरकार कुछ जंगली जानवरों को विशेष सुरक्षा देता है तो सरकार को उसके द्वारा पीड़ित व्यक्ति को भी विशेष मुआवजा देना चाहिए। इसके प्रति अपराध हुआ है, वह दया कर सकता है। व्यक्ति और समाज में भी अंतर समझने की जरूरत है। व्यक्ति कानून का पालन करता है और समाज कानून बनाता है। दया के साथ-साथ क्षमा पर भी चर्चा हुई। दया एक शक्ति संपन्न व्यक्ति साधन हीनों पर अथवा कमजोरों पर करता है लेकिन क्षमा शक्ति संपन्न व्यक्ति ही करता है। कमजोरों में भी दया भाव होती है। वह दया के वशीभूत किसी को अपना अंगदान भी कर देता है, अपना पुत्र भी किसी को गोद देता है। दया सक्षम और अक्षम दोनों के तरीके के व्यक्ति कर सकते हैं जबकि क्षमता सिर्फ साधन संपन्न और शक्ति संपन्न व्यक्ति ही करता है। ष्क्षमा शोभती उसे भुजंग को जिसके पास गरल हो उसको क्या जो दांत हैं विषहीन विनीत सरल हो।ष् इस गंभीर विषय पर और भी गहराई से सोचने और समझने की जरूरत है।

पत्र व्यवहार का पता

बजरंग लाल अग्रवाल पोस्ट बाक्स 15, रायपुर (छ.ग.) 492021

website : margdarshak.info

प्रकाशक, संपादक व स्वामी - बजरंगलाल

9617079344

mail : Support@margdarshak.info